



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052022-235782
CG-DL-E-14052022-235782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944

No. 128]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली 13 मई, 2022

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जन.गण. से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 7/10/2021-डीजीटीआर.— समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स बोरसिल रिनुवेबल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे “घरेलू उद्योग” अथवा “आवेदक” भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ

(पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के और वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।
3. इस अधिनियम की धारा 9क(5) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में रद्द नहीं किया गया हो, का इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर प्रभाव नहीं रहेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इसकी समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत् प्रमाणिक अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
4. इस नियमावली के नियम 23 (1ख) निम्नानुसार प्रावधान है:
“.....किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टि; तथा अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”
5. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से दायर की गई पाटन और क्षति की संभावना की प्रथमदृष्टया साक्ष्य के साथ प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 7.06.2021 की अधिसूचना सं. 07/10/2021-डीजीटीआर (एडी-एसएसआर सं. 10/2020) के माध्यम से निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की और इस तथ्य की जांच शुरू की कि क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है और क्या चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता है।
6. पूर्व में प्राधिकारी ने दिनांक 23.06.2016 को चीन जन.गण. के टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अन-कोटेड ग्लास के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की थी और जांच किए जाने के बाद दिनांक 20.06.2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/03/2016-डीजीएडी के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणामों में की गई सिफारिशों के आधार पर, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 18.08.2017 की अधिसूचना सं. 38/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था।

ख. प्रक्रिया

7. यहां नीचे दी गई उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण इस जांच के संबंध में किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 07.06.2021 को अधिसूचना जारी की।
 - ii. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, चीन जन.गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को जांच की शुरुआत संबंधी सूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से

अवगत कराएं। सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा सर्वप्रथम दिनांक 18.07.2021 और फिर 28.07.2021 तक बढ़ाई गई थी।

- iii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास को और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- iv. भारत में चीन जन.गण. के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए चीन जन.गण. के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। इन उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें चीन जन.गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ भेजी गई थी।
- v. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, जिनका ब्यौरा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था, को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना देने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी:
 - क. डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड
 - ख. झेजियांग जियाफु ग्लास कंपनी लिमि. (शंघाई फ्लैट ग्लास, एफएसजी ग्रुप)
 - ग. हेनान अनकई हाई टेक कंपनी लिमिटेड
 - घ. शांक्सी टोपरे सोलर वियनान, चीन
 - ड. जिनयी सोलर (हांगकांग) लिमिटेड
- vi. चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
 - क. जिनयी पीवी प्रोडक्ट्स (अनहुई) होल्डिंग्स लिमिटेड
 - ख. जिनयी सोलर (हांगकांग) लिमिटेड
 - ग. गुआंगसी जिनयी फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - घ. वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड
 - ड. डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड
 - च. शांक्सी टोपरे सोलर कंपनी लिमिटेड
 - छ. हेनान अनकई हाई टेक कंपनी लिमिटेड
 - ज. हेनान अनकई फोटोवोल्टाइक एडवांस मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
 - झ. अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड
 - ञ. फ्लैट ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - ट. फ्लैट (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
 - ठ. झेजियांग जियाफु ग्लास कंपनी लिमिटेड
- vii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संघों जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए थे, को जांच की शुरुआत संबंधी सूचना की एक प्रति अग्रपिठ की और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं:
 - क. मुंद्रा सोलन पीवी लिमिटेड
 - ख. स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड

- ग. प्रीमियर एनर्जिस लिमिटेड
- घ. रेनेवसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ड. गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड
- च. वाअरी इनर्जिस लिमिटेड
- छ. एलपेक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- ज. विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड
- झ. टॉपसन एनर्जी लिमिटेड
- ञ. टाटा पॉवर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड
- ट. एमवी फोटोवोल्टाइक पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
- ठ. नवितास ग्रीन सोल्युसंस प्राइवेट लिमिटेड
- ड. सोवा पॉवर लिमिटेड
- viii. किसी भी प्रयोक्ता/आयातक/उपभोक्ता ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ix. विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिए हैं अथवा इस जांच के संबंध में पूर्ण सूचना नहीं दी है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माने जाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- x. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक माना गया, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- xi. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह कहा गया था कि वे उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तरों, अनुरोधों और साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।
- xii. वर्तमान जांच के उद्देश्य से, जांच की अवधि जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 (जांच की अवधि) मानी गई है। क्षति की जांच की अवधि को अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019, अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।
- xiii. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था, जिस सीमा तक जांच के उद्देश्य से उसे आवश्यक माना गया।
- xiv. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उसका निर्माण एवं बिक्री करने की लागत के आधार पर है। यह इस प्रकार से तय किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- xv. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी प्रणालियों से क्षति की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देनवार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था। उस पर आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए विश्वास किया गया है।
- xvi. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 08.09.2021 को हुई मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी उपलब्ध कराए, जिसमें विभिन्न पक्षकार उपस्थित हुए। मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया था कि वे इन विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें ताकि विरोधी हितबद्ध पक्षकार उसके बाद प्रति-उत्तर प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें।
- xvii. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को जहां कहीं भी संगत पाया गया इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा ध्यान दिया गया है।
- xviii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच दिए जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड किए हैं।
- xix. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 5 मई, 2022 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, पर इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अधिकांश अनुरोध उनके पूर्व के अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, प्रकटन पश्चात अनुरोधों की उस सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है, जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया।
- xx. इन अंतिम जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।
- xxi. संबद्ध जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनिमय दर 1 यूएसडॉलर = 75.02 रु. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “4.2 एमएम (0.2 एमएम की सहनशीलता सहित) से अनधिक मोटाई के न्यूनतम 90.5 प्रतिशत पारेषण के साथ टेक्सचर्ड टफ़न्ड (टेम्पर्ड) ग्लास और जहां कम से कम एक आयाम 1500 एमएम से अधिक हो, चाहे वो कोटेड अथवा अनकोटेड हो” है।
9. बाजार की भाषा में इस उत्पाद को अनेक नामों जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास निम्न आयरन, सोलर पीवी ग्लास, उच्च पारेषण फोटोवोल्टेइक ग्लास, टेम्पर्ड निम्न आयरन पैटर्न वाले सोलर ग्लास आदि के रूप में भी जाना जाता है। टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग सालर फोटोवोल्टेइक पैनल और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में एक संघटक के रूप में किया जाता है। पारेषण के स्तर को ऑयरन की मात्रा को कम रखकर प्रकार रूप से 200 पीपीएम से कम रखकर प्राप्त किया जा सकता है। पारेषण का स्तर तब लगभग 2 प्रतिशत – 3 प्रतिशत तक बढ़ जाता है जब प्रावर्तकरोधी कोटिंग तरल पदार्थ से कोट किया जाता है।

विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद “4.2 एमएम (0.2 एमएम की सहनशीलता सहित) से अनधिक मोटाई के न्यूनतम 90.5 प्रतिशत पारेषण के साथ टेक्सचर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास और जहां कम से कम एक आयाम 1500 एमएम से अधिक हो, चाहे वो कोटेड अथवा अनकोटेड हो” है।
12. बाजार की भाषा में इस उत्पाद को अनेक नामों जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास निम्न आयरन, सोलर पीवी ग्लास, उच्च पारेषण फोटोवोल्टेइक ग्लास, टेम्पर्ड निम्न आयरन पैटर्न वाले सोलर ग्लास आदि के रूप में भी जाना जाता है। टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग सालर फोटोवोल्टेइक पैनल और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में एक संघटक के रूप में किया जाता है। पारेषण के स्तर को ऑयरन की मात्रा को कम रखकर प्रकार रूप से 200 पीपीएम से कम रखकर प्राप्त किया जा सकता है। पारेषण का स्तर तब लगभग 2 प्रतिशत – 3 प्रतिशत तक बढ़ जाता है जब प्रावर्तकरोधी कोटिंग तरल पदार्थ से कोट किया जाता है। वह ग्लास चाहे कोटेड हो अथवा अनकोटेड हो, टेम्परिंग भट्टी में टेम्पर किया जाता है/कठोर बनाया जाता है, क्योंकि यह सोलर अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है।
13. संबद्ध उत्पादों का प्रमुख रूप से आयात प्रशुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता है जो 8-अंक का स्तर 70071900 है यद्यपि उसका आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत किया जा रहा है, जैसाकि आयात आंकड़ों से देखा जा सकता है। संबद्ध वस्तुओं का आयात उप-शीर्ष 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 और 85414011 में भी किया जा रहा है जिसे आयात आंकड़ों से देखा जा सकता है। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण टकराव की स्थितियों में लागू रहता है।
14. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं और चीन जन.गण. से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु विशेषताओं जैसे इन वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण एवं बाजार तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ तुलनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि वे संबद्ध वस्तु जो भारत में आ रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सदृश्य हैं। सव्सिडीयुक्त आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा निर्मित किया गया विचाराधीन उत्पाद की या तो तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्य अथवा अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन्न के योग्य हैं और इस कारण से उन्हें इस नियमावली के अंतर्गत “समान वस्तु” के रूप में माना जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

15. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद “4.2 एमएम (0.2 एमएम की सहनशीलता सहित) से अनधिक मोटाई के न्यूनतम 90.5 प्रतिशत पारेषण के साथ टेक्सचर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास और जहां कम से कम एक आयाम 1500 एमएम से अधिक हो, चाहे वो कोटेड अथवा अनकोटेड हो” है।
16. बाजार की भाषा में इस उत्पाद को अनेक नामों जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास निम्न आयरन, सोलर पीवी ग्लास, उच्च पारेषण फोटोवोल्टेइक ग्लास, टेम्पर्ड निम्न आयरन पैटर्न वाले सोलर ग्लास आदि के रूप में भी जाना जाता है। टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग सालर फोटोवोल्टेइक पैनल और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में एक संघटक के रूप में किया जाता है। पारेषण के स्तर को ऑयरन की मात्रा को कम रखकर प्रकार रूप से 200 पीपीएम से कम रखकर प्राप्त किया जा सकता है। पारेषण का स्तर तब लगभग 2 प्रतिशत – 3 प्रतिशत तक बढ़ जाता है जब प्रावर्तकरोधी कोटिंग तरल पदार्थ से कोट किया जाता है।
17. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद 70071900 के अंतर्गत किया जाता है। आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का भी आयात सीमा शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद संख्या 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 और 85414011 के अन्तर्गत किया गया है। हालांकि सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

18. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और चीन जन.गण. से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और चीन जन.गण. से आयात किए विचाराधीन उत्पाद विशेषताओं जैसे इन वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के संबंधी में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन्न के योग्य हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति

20. वर्तमान आवेदन मैसर्स बोरोसिल रिनेवेबल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक का जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में विचाराधीन उत्पाद का अन्य कोई ज्ञात उत्पादक नहीं है।

21. उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही यह संबद्ध वस्तुओं के किसी आयात अथवा निर्यातक से संबंधित है। उपर्युक्त को देखते हुए, आवेदक भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित घरेलू उद्योग के मानदंड और स्थिति की आवश्यकता को पूरा करता है।

22. किसी भी विदेशी उत्पादक/निर्यात/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

23. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने आवेदक को इस नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग के रूप में माना है और यह आवेदक इस नियमावली के नियम 5 के संबंध में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदक ने प्रपत्र क से ठ में दी गई सूचना और एनआईपी सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आंकड़ों का रुझान उपलब्ध नहीं कराया है, जिसमें सूचना एक से अधिक वर्ष के लिए दी जानी थी।
- ii. चूंकि घरेलू उद्योग ने दिनांक 12.04.2021 की व्यापार सूचना 03/2021 का अनुसरण नहीं किया है, अतः वर्तमान जांच को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।
- iii. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत के लिए सहायक साक्ष्य के गोपनीय होने का दावा किया है जिसे हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियों के लिए दिया जाना चाहिए।
- iv. निर्यातकों ने लागू व्यापार नोटिसों और डीजीटीआर की कार्य-पद्धति के अनुसार अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक ने दावा किया है कि जहां तक उनके अनुरोध/सूचना का संबद्ध है, गोपनीयता का दावा पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के प्रावधानों और इस संबंध में जारी की गई व्यापार नोटिसों के अनुसार किया गया है।
- ii. प्राधिकारी द्वारा क्षति का निर्धारण तय करने के उद्देश्य से विचार किए गए सभी आर्थिक मानदंडों को दिनांक 7.09.2018 के व्यापार नोटिस 10/2018 के अनुपालन में उपलब्ध कराया गया है।
- iii. भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है। प्रश्नावली में अधिकांश प्रश्नों के उत्तर को बिना सार्थक सारांश दिए पूर्ण रूप से गोपनीय के रूप में दावा किया गया है।
- iv. प्रतिवादियों ने दिनांक 7.09.2018 के व्यापार नोटिस 10/2018 की आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए अपने उत्तरों के उचित अगोपनीय रूपांतर नहीं उपलब्ध कराकर इस प्रणाली का मज़ाक बनाया है।
- v. घरेलू उद्योग ने व्यापार नोटिस 07/2018 में उल्लिखित तरीके से आयात आंकड़े उपलब्ध कराने का दायित्व पूरा किया है। हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस अथवा प्राधिकारी से आंकड़े प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:
- “गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*
- (3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”*
27. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक की गई है, जिस सीमा तक उसे संगत माना गया है और तदनुसार उसका निवारण किया गया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की विधिवत जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक माना गया, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना का गोपनीय के रूप में दावा किया है।
28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उन सभी सूचनाओं, जो वर्तमान जांच के उद्देश्य से संगत हैं, का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया है।

च. विविध अनुरोध**विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. धारा 9क(5) के अंतर्गत शुल्क जारी रहना अपवाद है और न कि मापदंड और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग करते हुए कोई आपवादिक परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं।
- ii. घरेलू उद्योग का प्रदर्शन सोलर माड्युल निर्माताओं के प्रदर्शन पर निर्भर है। यदि आयात शून्य भी है तो घरेलू उद्योग प्रभावित होगा क्योंकि डाउनस्ट्रीम उद्योग में अनेक उत्पादकों ने अपने प्रचालनों को बंद कर दिया है।
- iii. टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास पर पाटनरोधी शुल्कों की लेवी से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें आवेदक एकाधिकार स्थापित करेंगे। इस कारण से, प्राधिकारी को शुल्क का विस्तार नहीं करना चाहिए।
- iv. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया आवेदन जांच की शुरुआत का समर्थन करने के लिए किसी सकारात्मक साक्ष्य को दर्शाने में असफल रहा और इस कारण से जांच की शुरुआत करना बिल्कुल आवश्यक नहीं था।
- v. विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयातों को बाहर रखा जाना चाहिए।
- vi. याचिकाकर्ता पहले से ही पिछले छह वर्षों से पाटनरोधी शुल्क के रूप में संरक्षण प्राप्त करते रहे हैं। पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और उसे आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा शुल्क को आगे बढ़ाना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11 का उल्लंघन होगा।
- vii. चूंकि केवल कुछ निर्यातकों ने मलेशिया में अपना उत्पादन स्थापित किया है, घरेलू उद्योग के इस अनुरोध में कोई दम नहीं है कि शुल्क लगाए जाने के बाद आयात चीन जन.गण. से मलेशिया की ओर परिवर्तित हो गए हैं क्योंकि अधिकांश निर्यातक अभी भी केवल चीन जन.गण. से निर्यात कर रहे हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए:

- i. इस तर्क के संबंध में कि शुल्कों को जारी रखने के फलस्वरूप एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी, यह अनुरोध किया जाता है कि इस तर्क में बिल्कुल कोई दम नहीं है और इसे मूल जांच में ही अस्वीकार कर दिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा आगे यह अनुरोध किया जाता है कि इसे प्राधिकारी द्वारा बार-बार माना गया है कि व्यापार उपचारात्मक जांच का उद्देश्य इसके आयात को रोकना नहीं है बल्कि अनुचित कीमत पर किए गए आयातों के कारण उत्पन्न स्थिति का निवारण करना है। चूंकि पाटनरोधी शुल्क देश विशिष्ट शुल्क है, अतः आयातक संबद्ध देश और अन्य देशों से उचित कीमत पर संबद्ध वस्तु का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस कारण से, घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार अथवा कमी उत्पन्न करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि उचित कीमत पर आयात अभी भी शुल्कों के लगाए जाने के बाद हो सकते हैं। एकाधिकार तभी हो सकता है यदि बाजार में एकमात्र आपूर्तिकर्ता हों जो कि यह मामला नहीं है। एकमात्र उत्पादक किसी एकाधिकार को उत्पन्न नहीं करते हैं क्योंकि वस्तुओं का विश्व के अन्य आपूर्तिकर्ताओं से बाजार स्थल पर पहुंचना जारी है।
- ii. हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन सोलर माड्युल के निर्माताओं के प्रदर्शन से संबंधित है, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया उक्त तर्क बिना किसी आधार का है। जबकि यह सही है कि सोलर उद्योग में कुछ निर्माताओं ने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं, वह देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग से प्रभावित नहीं हुआ है, जैसाकि रिकॉर्ड में आंकड़ों से देखा जा सकता है।
- iii. हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों में कोई दम नहीं है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयातों को बाहर रखा जाना चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र, घरेलू उद्योग का एक बाजार है और इस कारण से कोई पृथक विश्लेषण अपेक्षित नहीं है।

- iv. रिकॉर्ड पर आंकड़ों से, यह स्पष्ट है कि चीन जन.गण. से पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के बाद आयात धीरे-धीरे मलेशिया की ओर परिवर्तित हो गए हैं। क्योंकि अधिकांश निर्यातकों ने यह अनुरोध किया है कि वे परिवर्तित नहीं हुए हैं, यह केवल दर्शाता है कि उचित कीमत पर वे भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं और यदि शुल्क का विस्तार नहीं किया जाता है तब उनके निर्यातों में पुनः वृद्धि होगी। मलेशिया से निर्यात की गई मात्रा भी चीन के उत्पादकों के माध्यम से भारतीय बाजार में होंगे।
- v. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने सभी सूचना उपलब्ध कराई है जो जांच की शुरुआत के उद्देश्य से पर्याप्त है। उल्लिखित जांच की शुरुआत में प्राधिकारी ने भी यह माना कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, जांच की शुरुआत के उद्देश्य से प्रथमदृष्टया पर्याप्त है। इस कारण से, हितबद्ध पक्षकारों के ये अनुरोध कि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त सूचना इस जांच की शुरुआत के लिए उपलब्ध नहीं कराई है, सही नहीं है।
- vi घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार उन शुल्कों का विस्तार और पांच वर्षों की अवधि के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, धारा 9क(5) भी पांच वर्षों के समय विस्तार का समर्थन करती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

31. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को इस जांच की शुरुआत के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया था। आगे यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि किस प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन के आधार पर जांच की शुरुआत ने किसी नियम का उल्लंघन किया है। इस कारण से, यह नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों में कोई दम नहीं है।
32. पाटनरोधी शुल्कों के समय विस्तार की अवधि के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और टिप्पणियों की जांच किए जाने के बाद धारा 9क(5) में यथा-परिकल्पित पाटनरोधी शुल्कों के समय विस्तार की अवधि के बारे में निर्णय करते हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

33. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - ख. उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
- बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से संबंधित प्रावधान

34. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I में निम्नलिखित उल्लेख है।

7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।

8 (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या:

(क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं ;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ;

(ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ;

(घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं ;

बशर्ते, तथापि जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

35. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं की सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना देने में असफल रहा है और इस कारण से अंतिम निर्धारण के लिए उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- ii. प्राधिकारी को पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार करना चाहिए।
- iii. इस याचिका में दावा किया गया पाटन मार्जिन मूल जांच की तुलना में बहुत अधिक अतिरिक्त है और इस कारण से प्राधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

36. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- i. चूंकि किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा नहीं किया है, अतः उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 पर आधारित होना चाहिए।
 - ii. चीन के निर्यातकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन होना जारी है। वास्तव में, भारत को चीन के निर्यातकों की निर्यात कीमत में लागत में वृद्धि के बावजूद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद गिरावट आई है।
 - iii. मजे की बात यह है कि, किसी भी शेष सहयोगी निर्यातक ने दावा भी नहीं किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों से परिकलित निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना की है और डीजीटीआर की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार सामान्य मूल्य तय किया है। इस कारण से, परिकलित पाटन मार्जिन डीजीटीआर की कार्य-पद्धति के अनुसार है और उसे अधिक होना नहीं कहा जा सकता है।
 - iv. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से इसकी जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या निर्यातकों ने असंबंधित निर्यातकों के लिए एसजीएंडए और लाभ का दावा किया है अथवा नहीं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

37. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- क. जिनयी पीवी प्रोडक्ट्स (अनहुई) होल्डिंग्स लिमिटेड
- ख. जिनयी सोलर (हांगकांग) लिमिटेड
- ग. गुआंगसी जिनयी फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- घ. वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड
- ङ. डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड
- च. शांक्सी टोपरे सोलर कंपनी लिमिटेड
- छ. हेनान अनकई हार्ड टेक कंपनी लिमिटेड
- ज. हेनान अनकई फोटोवोल्टाइक एडवांस मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
- झ. अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड
- ञ. फ्लैट ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ट. फ्लैट (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड

ठ. झेजियांग जियाफु ग्लास कंपनी लिमिटेड

38. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का विश्लेषण किया है और तदनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।

सामान्य मूल्य का निर्धारण

39. डब्ल्यूटीओ में चाइनीज एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।”

40. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (II) में निहित प्रावधान 11-12-2016 को समाप्त हो गया है, प्रवेश नवाचार के 15 (क) (I) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दिए जाने हेतु सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए भारत की नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में सहयोग नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
41. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 7 के अनुसार किया गया है। चूंकि किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य की संरचना के लिए किसी प्रतिनिधिक देश उपलब्ध नहीं कराया है/उसके बारे में सुझाव दिया है, प्राधिकारी ने किसी आंकड़ों/सूचना के अभाव में प्रतिनिधिक देश को अपनाने का प्रस्ताव नहीं किया है। इस कारण से, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सूचना के अभाव में, अन्य पद्धतियों जिसे इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में विचार किया गया है, के संबंध में प्राधिकारी ने “किसी अन्य तर्कसंगत आधार” पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन; घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया है। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित संरचित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।
42. प्राधिकारी ने अप्रैल 2020 से जून 2020 की तिमाही के दौरान उस अवधि के दौरान, भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पाटन निर्धारण तथा क्षति विश्लेषण में भारत को भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों पर विचार नहीं किया है।

फ्लैट ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड, झेजियांग जियाफु ग्लास कंपनी लिमिटेड, अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड और फ्लैट (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड के मामले में निर्यात कीमत

43. फ्लैट ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “फ्लैट ग्रुप” कहा गया है), अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “अनहुई” कहा गया है), और झेजियांग जियाफु ग्लास कं. लिमिटेड (जिसे आगे “जियाफु” कहा गया है) चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के संबंधित उत्पादक हैं। उन्होंने एक संबंधित निर्यातक अर्थात् फ्लैट (हांग कांग, कंपनी लिमिटेड, हांगकांग (जिसे आगे “फ्लैट हांग कांग”) है। फ्लैट ग्रुप ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे तौर पर और अपने संबंधित निर्यातक फ्लैट हांग कांग के माध्यम से भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। अनहुई ने भारत को संबद्ध वस्तुओं की कोई प्रत्यक्ष निर्यात बिक्री नहीं की है। इसने फ्लैट हांग कांग के माध्यम से भारत को सभी निर्यात किए हैं। जियाफु ने भारत को कोई सीधे निर्यात बिक्री नहीं की है। इसने फ्लैट हांग कांग और फ्लैट ग्रुप के माध्यम से सभी निर्यात किए हैं। सभी चार कंपनियों ने अपेक्षित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराई है।
44. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, फ्लैट ग्रुप ने सीधे तौर पर संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी और भारत में असंबंधित ग्राहकों को फ्लैट हांग कांग के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी का उत्पादन और निर्यात किया है। अनहुई ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को फ्लैट हांग कांग के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी का उत्पादन और निर्यात किया है। जियाफु ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को क्रमशः फ्लैट ग्रुप और फ्लैट हांग कांग के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी और ***एमटी उत्पादन और निर्यात किया है। फ्लैट ग्रुप, अनहुई, जियाफु और फ्लैट हांग कांग ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है।
45. समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, ऋण लागत और बैंक शुल्क के प्रति समायोजनों का सत्यापन और उसे स्वीकार प्राधिकारी द्वारा किया गया है। तदनुसार, इस समूह के लिए कारखाना द्वार स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

शांक्सी टोपरे सोलर कं. लिमिटेड के मामले में निर्यात कीमत

46. शांक्सी टोपरे सोलर कं. लिमिटेड (जिसे आगे “टोपरे” कहा गया है) चीन जन.गण. की कंपनी कानून के अंतर्गत स्थापित एक लिमिटेड कंपनी है। टोपरे ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे तौर पर संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है। टोपरे ने अपेक्षित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराई है।
47. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान टोपरे ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी का उत्पादन और निर्यात किया है। टोपरे ने अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत, पैकेजिंग लागत, बैंक शुल्क और कमीशन के कारण समायोजन का दावा किया है। उपर्युक्त समायोजनों का सत्यापन किया गया और उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। तदनुसार, कारखाना द्वार स्तर पर संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड और डोंगगुआन सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड के मामले में निर्यात कीमत

48. वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “वुजियांग सीएसजी” कहा गया है) और डोंगगुआन सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “डोंगगुआन सीएसजी” कहा गया है) चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के संबंधित उत्पादक हैं।
49. वुजियांग सीएसजी ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे तौर पर संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है। वुजियांग सीएसजी ने अपेक्षित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराई है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, वुजियांग सीएसजी ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी का उत्पादन और निर्यात किया है। वुजियांग सीएसजी ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है।
50. डोंगगुआन सीएसजी ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे तौर पर और असंबंधित निर्यातक अर्थात् स्वीलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है। स्वीलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा भारत को किए गए कुल निर्यात का लगभग ***प्रतिशत है। डोंगगुआन सीएसजी ने अपेक्षित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराई है। हालांकि, स्वीलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध जांच में भाग नहीं लिया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान डोंगगुआन सीएसजी ने भारतीय ग्राहकों को सीधे तौर पर और स्वीलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी का उत्पादन और निर्यात किया है। डोंगगुआन सीएसजी ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है।
51. वुजियांग सीएसजी और डोंगगुआन सीएसजी द्वारा दावा किए गए उपर्युक्त समायोजनों का सत्यापन किया गया है और उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया जाता है कि उनके असंबंधित व्यापारी अर्थात् स्वीलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने जांच में भाग नहीं लिया है और तदनुसार संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। हालांकि, चूंकि इस असंबंधित व्यापारी के माध्यम से किया गया निर्यात वुजियांग सीएसजी और डोंगगुआन सीएसजी द्वारा किए गए निर्यातों का 30 प्रतिशत से कम है, अतः प्राधिकारी ने उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को स्वीकार किया है और इस समूह में भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण करने के वास्ते स्वीलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किए गए निर्यात कारोबार के लिए उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया है। इस प्रकार से निर्धारित इस समूह के लिए कारखाना द्वार स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

हेनान एनकई फोटोवोल्टाइक एडवांसड मैटेरियल कंपनी लिमिटेड और हेनान अनकई हाई टेक कंपनी लिमिटेड के मामले में निर्यात कीमत

52. हेनान अनकई हाई टेक कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “एसीएचटी” कहा गया है) और हेनान एनकई फोटोवोल्टाइक एडवांस मैटिरियल कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “एसीपीएम” कहा गया है) चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के संबंधित उत्पादक हैं।
53. एसीएचटी ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे तौर पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। एसीएचटी ने अपेक्षित निर्यातिक प्रश्नावली प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराई है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान एसीएचटी ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी (***पीस) का उत्पादन और निर्यात किया है।
54. एसीपीएम ने भारत में ग्राहकों को सीधे तौर पर निर्यात नहीं किया है। एसीपीएम द्वारा उत्पादन किए गए संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यात एसीएचटी के माध्यम से भारत को किए गए हैं। इन तथ्यों को देखते हुए, एसीपीएम से यह अपेक्षित था कि वह परिशिष्ट-3 ग में सूचना उपलब्ध कराएं जिसमें उस कीमत का विवरण दें जिस पर इसने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री एसीएचटी को की है और एसीएचटी से यह अपेक्षित था कि वह उस कीमत का विवरण देते हुए परिशिष्ट-3-क में सूचना उपलब्ध कराएं जिस पर इसने भारत में ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। हालांकि, प्राधिकारी ने नोट किया है कि एसीपीएम ने भारत को निर्यात के संबंध में परिशिष्ट-3ग में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की। प्राधिकारी ने एसीपीएम को कमियों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया और उनसे अनुरोध किया कि वे डेस्क सत्यापन कार्य के दौरान परिशिष्ट-3ग में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराएं। डेस्क सत्यापन कार्य के दौरान एसीपीएम को अवसर दिए जाने के बाद भी उन्होंने प्राधिकारी को परिशिष्ट-3ग में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
55. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वे उत्पादक स्तर पर कारखाना द्वार निर्यात कीमत की गणना करें और भारत को निर्यात चेन में शामिल प्रत्येक व्यापारी की लाभप्रदता की जांच करें। प्राधिकारी भारत को निर्यात से संबंधित परिशिष्ट-3ग में उत्पादक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कारखाना द्वार निर्यात कीमत तय करते हैं। परिशिष्ट-3ग के अभाव में, प्राधिकारी भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को शामिल करते हुए की जा रही सभी अन्य जांचों में, परिशिष्ट-3ग, उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
56. उपर्युक्त के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि एसीपीएम उन्हें बताए जा रही कमियों के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहा है। उत्पादक द्वारा कोई विश्वसनीय औचित्य नहीं दिया गया था कि क्यों वे प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध नहीं करा सकते।
57. प्राधिकारी द्वारा इस मामले में ली गई माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि दोनों उत्पादक हैं। इस तथ्य के बावजूद कि पाटनरोधी शुल्क मूल जांच में प्रति एमटी आधार पर लगाए गए थे, एमटी में मात्रा संबंधी सूचना भारत को निर्यात उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं और घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में सभी सूचना दी है और प्रति एमटी आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने का भी प्रस्ताव किया है। चीन जन.गण. के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों ने एमटी में प्राधिकारी को मात्रा संबंधी सूचना दी है। तदनुसार, प्राधिकारी वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा ली गई माप की इकाई में एसीपीएम और एसीएचटी के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत और पहुंच कीमत का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं है।
58. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि एसीपीएम और एसीएचटी द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यातक प्रश्नावली उत्तर को स्वीकार नहीं किया गया और उनके लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण नहीं किया गया।

जिनवी पीवी प्रोडक्ट्स (अनहुई) होल्डिंग्स लिमिटेड, गुआंक्सी जिनवी फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड और जिनवी सोलर (हांग कांग) लिमिटेड के मामले में निर्यात कीमत

59. जिनवी पीवी प्रोडक्ट्स (अनहुई) होल्डिंग्स लिमिटेड [जिसे आगे “जिनयी (अनहुई)” कहा गया है] और गुआंक्सी जिनवी फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे गुआंक्सी जिनयी” कहा गया है) चीन जन.गण. में

संबद्ध वस्तु के संबंधित उत्पादक हैं। उनका हांग कांग में एक संबंधित निर्यातक अर्थात् जिन्वी सोलर (हांग कांग) लिमिटेड [जिसे आगे "जिनयी (हांग कांग)" कहा गया है] है।

60. जांच की अवधि के दौरान जिनयी (अनहुई) ने भारत में ग्राहकों को सीधे तौर पर निर्यात नहीं किया है। जिनयी (अनहुई) ने जिनयी (हांग कांग) के माध्यम से भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी उत्पादन और निर्यात किया है। जांच की अवधि के दौरान, गुआंगजी जिनयी ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। स्थितियों को देखते हुए जिनयी (अनहुई) से यह अपेक्षित था कि वह उस कीमत का विवरण देते हुए परिशिष्ट-3ग में सूचना उपलब्ध कराएं, जिस पर इसने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री जिनयी (हांग कांग) को की है और जिनयी (हांग कांग) से यह अपेक्षित था कि वह उस कीमत का विवरण देते हुए परिशिष्ट-3क में सूचना उपलब्ध कराएं जिस पर इसने भारत में ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। हालांकि, प्राधिकारी ने नोट किया कि जिनयी (अनहुई) ने उस कीमत, जिस पर जिनयी (अनहुई) ने जिनयी (हांग कांग) को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, से संबंधित परिशिष्ट-3ग में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की। बल्कि जिनयी (अनहुई) ने उस कीमत, जिस पर जिनयी (हांग कांग) ने भारत में ग्राहकों को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है, के साथ परिशिष्ट-3ग प्रस्तुत किया है।
61. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वे उत्पादक स्तर पर कारखाना द्वार निर्यात कीमत की गणना करें और भारत को निर्यात चेन में शामिल प्रत्येक व्यापारी की लाभप्रदता की जांच करें। प्राधिकारी उस कीमत, जिस पर उत्पादक ने व्यापारी/निर्यातक को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है, से संबंधित परिशिष्ट-3ग में उत्पादक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कारखाना द्वार निर्यात कीमत तय करते हैं। परिशिष्ट-3ग में संबंधित सूचना के अभाव में, प्राधिकारी भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को शामिल करते हुए की जा रही सभी अन्य जांचों में, उस कीमत जिस पर उत्पादक ने व्यापारी/निर्यातक को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है, की सूचना उत्पादकों द्वारा परिशिष्ट-3ग में दी जा रही है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि जिनयी (अनहुई) ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है और प्राधिकारी को पूर्ण एवं सही सूचना नहीं दी है।
62. आगे यह नोट किया जाता है कि जिनयी (हांग कांग) के माध्यम से भारत को जिनयी (अनहुई) के द्वारा निर्यात की गई संबद्ध वस्तु का ***एमटी की कीमत असाधारण रूप से अधिक है। यह जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की औसत आयात कीमत का दोगुना से अधिक है और इसलिए इसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।
63. परिशिष्ट 3क/3ग में, जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों से संबंधित सूचना दी जानी अपेक्षित है। इन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के उत्तर की जांच करने पर, यह नोट किया जाता है कि इन पक्षकारों ने परिशिष्ट 3क/3ग में भारत को संबद्ध वस्तुओं की ***एमटी के निर्यात की सूचना दी है। सावधानीपूर्वक छानबीन करने पर यह नोट किया गया था कि उनके द्वारा रिपोर्ट की गई ***एमटी में से, जांच की अवधि के दौरान भारत को केवल ***एमटी निर्यात किया गया था। शेष मात्रा जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित थी। निर्यातक की प्रश्नावली प्रपत्र के परिशिष्ट 3क और 3ग में जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित सूचना सूचित किए जाने का कोई कारण नहीं दिया गया है।
64. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर की गई निर्यातक प्रश्नावली उत्तर को स्वीकार न करने और उनके लिए पृथक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित न करने का निर्णय लिया है।

सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

65. चीन जन.गण. से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है और इसका नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

पाटन मार्जिन

66. जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, यह नोट किया गया है कि चीन जन.गण. से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

पाटन मार्जिन तालिका

निर्यातक	निर्मित सामान्य मूल्य		निबल निर्यात कीमत		पाटन मार्जिन			
	अमरीकी डालर/मी. ट.	रुपए/मी.ट.	अमरीकी डालर/मी. ट.	रुपए/मी.ट.	अमरीकी डालर/मी. ट.	रुपए/मी.ट.	%	रेंज
फ्लैट ग्लास ग्रुप, अनहुई और जियाफू	***	***	***	***	***	***	*	75-85
शांक्सी टोप्रे	***	***	***	***	***	***	*	110-120
वूजियांग और डांगगुआन	***	***	***	***	***	***	*	70-80
अन्य	***	***	***	***	***	***	*	140-150

ज. क्षति निर्धारण की कार्य पद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

67. अनुबंध II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में व्यवस्था की गई है कि क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत कर सकते हैं, “..... सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं.....”। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना अनिवार्य समझा गया कि भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना करने पर क्या पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमतों में उल्लेखनीय सीमा तक ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा उल्लेखनीय सीमा तक घटित हुआ होता।
68. नियमावली के नियम 23 में व्यवस्था की गई है कि समीक्षा के मामले में नियम 6,7,8,9,10,11,16,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में क्षति पैरामीटरों का मूल्यांकन किया है जो नियम 11 और नियमावली के अनुबंध II के अंतर्गत जरूरी हैं और यह भी जांच की है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या इनकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

69. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- चीन जन.गण. से आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं। इसके अलावा, पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति केवल कोविड-19 के कारण हुई है और न कि संबद्ध देश से आयातों के कारण।

- ii. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में पीओआई 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 निर्धारित की गई है। पीओआई घरेलू उद्योग की वास्तविक स्थिति की अप्रातिनिधिक है। पीओआई अवधि का अधिकतर भाग कोविड-19 महामारी के कारण पूर्ण या आंशिक लॉक डाउन द्वारा प्रभावित रहा है। घरेलू उद्योग का निष्पादन अप्रैल, 2020 से जून, 2020 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित रहा है जब पूरे भारत में सख्त लॉक डाउन लागू था। इसलिए, अन्य जांचों में प्राधिकारी द्वारा लगातार अनुसरित की जा रही पद्धति के अनुसार क्षति और संभावना विश्लेषण के प्रयोजन हेतु प्राधिकारी द्वारा पीओआई से अप्रैल, 2020 में जून, 2020 की तिमाही को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- iii. घरेलू उद्योग यह दर्शाने में असफल रहा है कि वे क्षति का सामना कर रहे हैं। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों ने क्षति जांच अवधि में सुधार दर्शाया है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अच्छा काम कर रहा है और संबद्ध देश से आयातों के कारण कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ है।
- iv. प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति पूरी तरह से गैर-महत्वपूर्ण बाजार हिस्से के साथ आयातों के कारण थी या यह संबद्ध देश से आयातों के अलावा अन्य कारणों से थी। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षति अन्य कारणों से थी तो अधिकारी से वर्तमान पुनरीक्षा को समाप्त करने का अनुरोध किया जाता है।
- v. अपनी लाभप्रदता के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के विपरीत है और घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने के लिए मनगढ़ंत और गढ़े गए प्रतीत होते हैं। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट में घरेलू उद्योग ने कहा है कि इसका लगभग 97% उत्पादन सोलर ग्लास का है और बाकी 3% उत्पादन अन्य उत्पादों को जाता है। यदि याचिकाकर्ता सोलर ग्लास के लिए क्षति का सामना कर रहा है तो कैसे केवल 3% उत्पादन 43.01% लाभ उत्पन्न कर सकता है।
- vi. चूंकि, पीओआई के दौरान पीयूसी के आयातों का अधिकतर भाग मलेशिया से है, यदि घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना है तो यह मलेशिया से आयातों के कारण है। इसलिए, मलेशिया से बड़े पैमाने पर आयात के कारण उत्पन्न क्षति, यदि कोई है, के लिए चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों को जिम्मेदार ठहराना अन्यायपूर्ण और अनुचित है।
- vii. यदि घरेलू उद्योग क्षति का सामना कर रहा है तो यह अन्य पैरामीटरों जैसे मांग में संकुचन और अन्य देशों से आयातों के कारण है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

70. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार है:

- i. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। इसके परिणाम महत्वपूर्ण हानि और नकारात्मक नकद लाभ में हुए हैं।
- ii. सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री और कीमत में कटौती घरेलू उद्योग पर विपरीत कीमत दबाव की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करती है।
- iii. रिकार्ड पर उपलब्ध आंकड़ों से पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक प्रतीत होता है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन जन.गण. से भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने की स्पष्ट संभावना है।
- iv. यदि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के पश्चात, संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आती है और घरेलू उद्योग पर सकारात्मक कीमत दबाव पड़ता है तो यह संबद्ध देश से पाटन के जारी रहने की सुदृढ़ संभावना को दर्शाता है।
- v. घरेलू उद्योग अभी भी चीनी निर्यातकों से निम्न कीमत वाले आयातों के कारण हानि का सामना कर रहा है। आगे यह भी अनुरोध किया जाता है कि केवल निम्न कीमत वाले आयातों के कारण ही, घरेलू उद्योग अपने

सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अपनी पूरी लागत नहीं वसूल कर पा रहा है। संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग पर उल्लेखनीय कीमत दबाव सृजित किया है।

- vi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि, मूल जांच में पहले ही कारणात्मक संबंध स्थापित किया गया है, प्राधिकारी द्वारा यह जांच किया जाना जरूरी है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के कारण पाटन और क्षति जारी रहेंगे या पुनरावृत्ति होगी।
- vii. यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की प्रचालनों में बने रहने के लिए सहायता करेंगे। तथापि, चीन जन.गण. से कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण पूरी वसूली को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसे ध्यान में रखते हुए, शुल्कों को जारी रखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है।
- viii. चूंकि, आवेदक एक बहु उत्पाद कंपनी है और विचाराधीन उत्पाद सोलर कारोबार का एक सबसेट है, स्वतंत्र आधार पर वार्षिक रिपोर्टों में रिपोर्ट की गई संख्या के आधार पर किया गया कोई विश्लेषण त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाएगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

71. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर उसके परिणामी प्रभाव, दोनों की उद्देश्यपरक जांच की है।
72. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क) (5) के अनुसार, लागू किया गया पाटनरोधी शुल्क, ऐसे लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों के समाप्त होने पर, जब तक कि वह पहले ही समाप्त न किया गया हो, प्रभाव करना बंद कर देगा बशर्ते कि किसी पुनरीक्षा में केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसे शुल्क के समाप्त किए जाने के कारण पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति या उसके जारी रहने की संभावना है तो वह ऐसे लागू किए जाने का अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार कर सकती है।
73. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना की जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान क्षति की, यदि कोई हो, जांच की है।
74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि क्षति के सभी पैरामीटर ह्रास दर्शाएं। कुछ पैरामीटर ह्रास दर्शा सकते हैं जबकि कुछ अन्य नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी पैरामीटरों की उद्देश्यपरक जांच की है।
75. कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के प्रभाव को समाप्त करने और क्षति विश्लेषण में उद्देश्यपरकता लाने के लिए, अप्रैल, 2020 से जून 2020 की तिमाही के क्षति संबंधी आंकड़ों को निकाल दिया गया है और पीओआई के बाकी 9 महीनों के आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया गया है।
76. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखा है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा प्रयोज्य कानूनों के आधार पर इसका विश्लेषण किया है। परवर्ती पैरों में प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का उल्लेख करता है।

पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

मांग का आकलन और स्पष्ट खपत

77. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष में, पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन हेतु, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया है। मांग या स्पष्ट खपत को सभी देशों से आयातों और सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री के जोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। संबद्ध

वस्तुओं की मांग या स्पष्ट खपत ने पूरी क्षति अवधि के दौरान एक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है जैसाकि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9 एम	एएनएन
चीन जन.गण. से आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	116	41	55
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	314	245	327
कुल आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	190	117	157
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	163	222	296
कुल मांग/खपत	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	184	140	187

78. पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है।

क. आयातों की मात्रा और चीन जन. गण. से आयातों का हिस्सा

79. चीन जन. गण. से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित तालिका में जांच की गई है:

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9एम	एएनएन
चीन जन.गण. से आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	116	41	55
मलेशिया से आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	320	250	334
चीन जन.गण. + मलेशिया से आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	190	118	157
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	104	84	112
कुल आयात	मीटन .	***	***	***	***	***

कुल पीयूसी उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	152	196	261
भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	184	140	187
उत्पादन के संबंध में चीन जन.गण. से आयात						
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	76	21	21
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	63	30	30

80. यह देखा गया है कि वर्ष 2018-19 तक चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई और तत्पश्चात इसमें गिरावट आई। यह भी नोट किया गया कि चीन जन.गण. पर पाटनरोधी शुल्कों के लागू होने के कारण एक चीनी उत्पादक ने अपने निर्यातों को चीन जन.गण. से मलेशिया स्थानांतरित कर लिया। वर्ष 2019-20 और पीओआई के दौरान मलेशिया से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

81. नियमावली के अनुबंध II के संदर्भ में, प्राधिकारी द्वारा कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार किया जाना जरूरी है।

क. कीमत कटौती

82. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से उल्लेखनीय स्तर तक कीमतों में कमी की है अथवा कीमत में वृद्धि होने से रोका है जो अन्यथा रूप से उल्लेखनीय सीमा तक घटित हुई होती। इस संबंध में, चीन जन. गण. से उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत कीमत के बीच, व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों को घटाकर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों को कारखानागत स्तरों पर निर्धारित किया गया था।

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
				9एम	एएनएन
चीन जन.गण. से पहुंच मूल्य (रुपए/ मी.ट.)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	101	104	108	108
घरेलू बिक्री कीमत (रुपए/ मी.ट.)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	102	96	101	101
कीमत कटौती (रुपए/ मी.ट.)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	106	58	71	71
कीमत कटौती (%)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	15-25	15-25	10-20	10-20	10-20

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूलों से उल्लेखनीय रूप से कम है और तदनुसार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

84. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों में कटौती कर रहा है और कीमतों में वृद्धि को रोकता है, जो अन्यथा रूप से घटित हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में कीमतों और पहुंच मूल्य में परिवर्तनों पर विचार किया है।

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9एम	एएनएन
बिक्रियों की भारांशित औसत लागत	रुपए/मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	99	123	123
भारांशित औसत बिक्री कीमत	रुपए/मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	96	101	101
चीन जन. गण. से आयातों की भारांशित औसत पहुंच कीमत	रुपए/मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	104	108	108

85. यह देखा जा सकता है कि चीन जन.गण. से पीयूसी के भारांशित औसत पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के पीयूसी के भारांशित औसत बिक्री कीमत और भारांशित औसत लागत से लगातार कम रहे हैं। इसी प्रकार, भारांशित औसत बिक्री कीमत भी पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान भारांशित औसत लागत से कम रही है। घरेलू उद्योग भी पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण अपनी लागत में हुई वृद्धि को पूरी तरह से वसूल करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार यह संकेत कर रहा है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी की गई है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

86. प्राधिकारी ने पीओआई के दौरान एनआईपी और पहुंच कीमत की तुलना के द्वारा कम कीमत पर बिक्री को निर्धारित किया है।

विवरण	यूओएम	मूल्य
एनआईपी	रुपए/ मी.ट.	***
चीन जन. गण. से पहुंच मूल्य	रुपए/ मी.ट.	***
कम कीमत पर बिक्री	रुपए/ मी.ट.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	50-60

87. यह देखा गया है कि कम कीमत पर बिक्री न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटरों पर प्रभाव

88. पाटनरोधी शुल्क नियमावली के अनुबंध II के तहत यह जरूरी है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन उत्पादों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच शामिल की जाए। पाटनरोधी नियमावली में आगे यह व्यवस्था की गई है। पाटनरोधी नियमावली में आगे यह व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में प्रभाव डालने वाले उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और आंकड़ों की उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, माल सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता पर संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों पर यहां नीचे विचार विमर्श किया गया है।

क. क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग

89. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9एम	एएनएन
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	170	171	227
उत्पादन- जोड़	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	143	177	236
उत्पादन- पीयूसी	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	152	196	261
कुल उत्पादन पर आधारित क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	84	104	104
घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	163	222	296

90. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। आगे यह नोट किया गया कि पूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान पीयूसी के उत्पादन और बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है जो देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि के अनुरूप है।

ख. बाजार हिस्सा

91. संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से तथा घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्रियों की निम्नानुसार जांच की गई है:

बाजार हिस्सा	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9एम	एएनएन
कुल मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	184	140	187

बाजार हिस्सा	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9एम	एएनएन
घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	89	159	159
चीन जन. गण.	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	63	30	30
चीन जन.गण. + मलेशिया	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	104	84	84
अन्य देश	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	56	60	60

92. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया कि पूर्ण जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. और मलेशिया से आयातों का संयुक्त बाजार हिस्सा काफी महत्वपूर्ण रहा है।

ग. मालसूची

93. घरेलू उद्योग के पास मालसूची की निम्नानुसार जांच की गई है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	644	1,101	838

94. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के औसत मालसूची स्तर में वर्ष 2019-20 तक वृद्धि हुई है और तत्पश्चात पीओआई के दौरान मामूली गिरावट आई है।

घ. लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ

95. लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है:

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9एम	एएनएन
बिक्री कीमत	रुपए/मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	96	101	101
एडीडी के बिना पहुंच मूल्य	रुपए/मी.ट.	***	***	***	***	***
एडीडी (लागू किए गए निम्नतम एडीडी पर आधारित)	रुपए/मी.ट.	***	***	***	***	***

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9एम	एएनएन
एडीडी के साथ पहुंच मूल्य	रुपए/मी.ट.	***	***	***	***	***
लागत	रुपए/मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	99	123	123
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(166)	(175)	(465)	(620)
लाभ/हानि	रुपए/ मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(164)	(107)	(209)	(209)
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(173)	(175)	(515)	(687)
नकद लाभ	रुपए/मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(171)	(107)	(226)	(226)
नियोजित पूंजी	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	273	274	274
आरओसीई	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(157)	(64)	(170)	(226)

96. यह नोट किया गया है कि पूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने हानियों का सामना किया है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ और आरओसीई भी पूर्ण क्षति अवधि के दौरान ऋणात्मक रहे हैं।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

97. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की जांच की है, जैसाकि नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9एम	एएनएन
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	152	196	261
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	140	97	130
उत्पादन/कर्मचारी	मी.ट./ संख्या	***	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई	
					9एम	एएनएन
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	108	201	201
मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	130	136	181
मजदूरी / कर्मचारी	रुपए / संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	93	139	139

98. उपर्युक्त सारणी से यह नोट किया गया है कि पीओआई में उत्पादकता, कर्मचारियों और मजदूरी में वृद्धि हुई है।

च. वृद्धि

99. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि पैरामीटरों से संबंधित सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	पीओआई (एएनएन)
1	उत्पादन	7%	41%	72%
2	घरेलू बिक्रियां	1%	62%	82%
3	लाभ/(हानि) – लाख रुपए	-66%	-6%	-254%
4	नकद लाभ – लाख रुपए	-73%	-1%	-292%
5	आरओआई %	-12%	20%	-34%

100. उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि पूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के मात्री संबंधी पैरामीटरों ने वृद्धि दर्शायी है और घरेलू उद्योग के कीमत संबंधी पैरामीटरों ने गिरावट दर्शायी है।

छ. नए निवेशों को जुटाने की क्षमता

101. घरेलू उद्योग द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा चीन जन.गण. से पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों के संरक्षण के कारण, कुछ नए निवेश किए गए थे किंतु इस क्षेत्र में निवेश भविष्य में टिकाऊ नहीं होंगे यदि चीन जन.गण. से पाटित आयातों को अनुमति दी जाती है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

102. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एनआईपी के जांच की अवधि को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत के साथ एनआईपी की तुलना की गई है।

103. उपरोक्त अनुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित किए गए क्षति मार्जिन को नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

निर्यातक	एनआईपी		पहुंच कीमत		क्षति मार्जिन			
	अमरीकी डालर/ मी.ट.	रुपए/ मी.ट.	अमरीकी डालर/ मी.ट.	रुपए/ मी.ट.	अमरीकी डालर/ मी.ट.	रुपए/ मी.ट.	%	रेंज
फ्लैट ग्लास ग्रुप अनहुई और जियाफू	***	***	***	***	***	***	* * *	30-40
शांक्सी टोप्रे	***	***	***	***	***	***	* * *	50-60
वूजियांग और डांगुआन	***	***	***	***	***	***	* * *	40-50
अन्य	***	***	***	***	***	***	* * *	60-70

क्षति संबंधी निष्कर्ष

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयात 2018-19 तक बढ़ाई गई क्षति अवधि में बढ़े हैं और उसके बाद उनमें गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि एक चीनी उत्पादक चीन जन.गण. पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद अपने निर्यात चीन जन.गण. से मलेशिया ले गया। मलेशिया से आयातों में 2019-20 और जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की काफी कटौती कर रहे हैं और साथ ही, घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव भी डाल रहे हैं। कम कीमत पर बिक्री भी काफी सकारात्मक है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में निवेश पर नकारात्मक आय और वित्तीय हानियां हो रही हैं। घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन का पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान काफी ह्रास हुआ है। अतः प्राधिकारी, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

105. एडी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना भी जरूरी है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों का जिम्मेदार न ठहराया जाए। जहां वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या पहुंचाने की संभावना है। इसकी जांच की गई कि क्या एडी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति में योगदान किया गया है या करने की संभावना है।

106. सूचीबद्ध ज्ञात कारकों के कारण क्षति उत्पन्न नहीं हुई है जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है:

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

107. संबद्ध देश के अलावा अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तु के आयात न्यूनतम सीमा से निम्न हैं या गैर-पाटित हैं या पाटनरोधी/गैर-सब्सिडी शुल्कों के अधीन हैं:

ख. मांग में संकुचन और/या खपत के पैटर्न में परिवर्तन

108. जांच की अवधि के अलावा, भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है और वह भी कोविड-19 महामारी के कारण है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

109. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, खपत के पैटर्न में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

घ. व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां

110. कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां नहीं हैं।

ड. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

111. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को क्षति के एक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता।

च. निर्यात निष्पादन

112. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के प्रयोजन हेतु घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

छ. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

113. किसी निर्णायक पुनरीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह निर्धारित किया जाना जरूरी है कि क्या संबद्ध वस्तुओं का पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी है या प्रवेश करने की संभावना है और यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो क्या इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की या पुनरावृत्ति की संभावना है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

114. क्षति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- एडी समझौते के अनुच्छेद 11.3 के अनुसार, प्राधिकारी किसी निर्णायक समीक्षा में पृथक निर्यातकों या उत्पादकों के लिए पृथक संभावना संबंधी निर्धारण करने और तब उस कंपनी के लिए किए गए निर्धारण के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए प्रासंगिक शुल्क को जारी रखने या समाप्त करने के लिए प्रतिबाधित नहीं है। आवेदक द्वारा किए गए सारे दावे केवल आरोप हैं और यह सिद्ध करने के लिए रिकार्ड पर कोई सुदृढ़ प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पाटन और क्षति की संभावना पूर्वाभासित और आसन्न है।
- दिनांक 18.08.2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया एडीडी चार से अधिक वर्षों से प्रवृत्त है और चीन जन. गण. से निर्यातकों ने पहले ही संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए वैकल्पिक बाजार ढूंढ लिए हैं। इसलिए, वस्तुओं के विपथन की कोई संभावना नहीं है।
- प्राधिकारी को प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध अधिशेष क्षमता का विश्लेषण करने के लिए प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए और न कि घरेलू उद्योग द्वारा उनकी याचिका में उपलब्ध कराए गए सामान्य आंकड़ों का।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

115. पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- प्रवृत्त शुल्कों के बावजूद, लगातार पाटन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाटन के जारी रहने की संभावना है, यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है। यह दर्शाता है कि संबद्ध देश में उत्पादकों की अनुचित मूल्य-निर्धारण का सहारा लेने की प्रवृत्ति है।

- ii. चीन जन.गण. ग्लास और ग्लास के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसने वर्ष 2020 में संबद्ध वस्तुओं के वैश्विक आउटपुट के 97 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन किया है। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि चीन जन. गण. के पास विश्व में सोलर-ग्लास उत्पादन श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या है। वर्ष 2020 में चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की कुल क्षमता लगभग *** मी. टन थी जो घरेलू उद्योग की कुल क्षमता का लगभग 77 गुणा है और भारतीय उत्पादन का लगभग 131 गुणा है। घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. में क्षमताओं और चीन जन. गण. से पाटित आयातों के संभावित खतरे और बड़ी मात्रा में देश में पाटित आयातों की आसन्न संभावना की पूरी जानकारी देने के लिए भारत में घरेलू क्षमताओं के साथ उनकी तुलना भी उपलब्ध कराई है।
- iii. मॉरगन स्टेनले रिपोर्ट से घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि चीनी विनिर्माताओं के पास भारी मात्रा में निष्क्रिय क्षमताएं उपलब्ध हैं। चूंकि, भारत सौर ऊर्जा में किए जा रहे महत्वपूर्ण निवेशों के साथ एक बढ़ता हुआ बाजार है, यह भारी निष्क्रिय क्षमताओं वाले देशों के लिए हमेशा एक आकर्षक गंतव्य बना रहेगा। घरेलू उद्योग ने चीन में उपयोग न की गई क्षमताओं के विवरण उपलब्ध कराए हैं, जो भारतीय क्षमता का 41 गुणा और भारतीय उत्पादन का 70 गुणा है। चूंकि, वित्त मंत्रालय ने ऐसी निष्क्रिय क्षमताओं वाले मलेशिया के विरुद्ध शुल्क लागू किए हैं, ऐसी निष्क्रिय क्षमताओं वाले चीनी उत्पादक भारतीय बाजार को पाटने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे।
- iv. यह अनुरोध किया जाता है कि भारी निष्क्रिय क्षमता रखने के बावजूद, चीन जन.गण. में उत्पादकों की वर्तमान क्षमताओं के व्यापक विस्तार के लिए योजना की गई है अर्थात् वर्ष 2019 में *** हजार मी. टन से प्रभावी क्षमता को बढ़ा कर वर्ष 2025 तक *** हजार मी. टन करना। इसका प्रभावी रूप से अर्थ है कि चीनी उत्पादक अगले चार वर्षों में अपनी क्षमता को दोगुणा कर देंगे। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि अधिशेष क्षमता का केवल 1% भी भारत को विपथित कर दिया जाता है तो पूरी भारतीय मांग को चीनी क्षमता के उस छोटे से भाग द्वारा पूरा किया जा सकता है।
- v. घरेलू उद्योग ने साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि निर्यातकों के पास भारी निर्यात योग्य अधिशेष क्षमता है। इसके अलावा, मलेशिया से आयातों के प्रति पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के पश्चात्, इसकी पूरी-पूरी संभावना है कि यदि शुल्कों का विस्तार नहीं किया जाता है तो मलेशियाई निर्यात चीन जन.गण. के जरिए भारतीय बाजार में अपना मार्ग ढूंढ लेंगे। इसलिए, पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है।
- vi. यह निवेदन किया जाता है कि चूंकि भारत एक कीमत संवेदी बाजार है, यह इसे पाटित और क्षतिकारक आयातों के प्रति अधिक असुरक्षित बनाता है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को वापिस लेना निश्चित रूप से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति का कारण बनेगा। एक बार शुल्क को समाप्त कर देने से भारी संभावित आयातों की पूरी-पूरी संभावना है।
- vii. भारत के अतिरिक्त, चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात युरोपीय संघ और टर्की में पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। यह इन देशों को निर्यात के लिए और भारतीय बाजार की आकर्षकता को और बढ़ाने की चीनी निर्यातकों/उत्पादकों की संभावनाओं को नियंत्रित करता है। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, चीन जन.गण. के विरुद्ध शुल्कों का कोई भी निरसन भारतीय उद्योग के लिए हानिकारक होगा।
- viii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि भारी निर्यात योग्य अधिशेष क्षमता और प्रमुख बाजारों में उनके विरुद्ध शुल्कों के साथ चीनी निर्यातक भारत जैसे संबद्ध वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग वाले प्रमुख बढ़ते हुए बाजारों में माल भरने के एकल अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। यह फिर से पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार करने की जरूरत पर जोर देता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

116. प्राधिकारी का मानना है कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का केंद्र पाटन और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है चाहे इस

समय कोई क्षति मौजूद नहीं है। इसमें यह विचार किए जाने की भी जरूरत है कि क्या लागू शुल्क क्षतिकारक पाटन को समाप्त करने के अभिप्रेरित उद्देश्य को पूरा कर रहा है।

117. यह निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच की गई है कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।
118. ऐसे संभावना संबंधी विश्लेषण को आयोजित करने के लिए कोई विशिष्ट विधि तंत्र उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध III के खंड (VII) में अन्य बातों के साथ-साथ, कारक प्रदान किए गए हैं जो क्षति के खतरे के लिए प्रासंगिक हैं, और किसी निर्णायक समीक्षा में संभावना संबंधी विश्लेषण के लिए भी इन्हीं कारकों का प्रयोग किया जाता है:

- भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर उल्लेखनीय रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना की ओर संकेत करती है।
- निर्यातक की क्षमता में स्वतंत्र रूप से निस्तारणीय या एक आसन्न, महत्वपूर्ण वृद्धि किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों को उल्लेखनीय रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना की ओर संकेत करती है।
- क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर ह्रासात्मक या दमनकारी प्रभाव होगा और, अधिक आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।
- वस्तु की मालसूचियों की जांच की जा रही है।


119. इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति पर प्रभाव डालने वाले अन्य संगत कारकों की भी जांच की है। संभावना के पैरामीटरों की जांच निम्नानुसार है:

क. संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन

120. शुल्कों के प्रवृत्त होने के बावजूद चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है। चीन जन.गण. से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक हैं।

ख. चीन जन.गण. के विरुद्ध शुल्कों को लागू किए जाने के पश्चात चीन जन.गण. से मलेशिया को निर्यातों को स्थानांतरित करने के लिए चीनी उत्पादों/निर्यातकों का व्यवहार

121. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीनी उत्पादक (शिनयी ग्रुप, चीन जन.गण.) की मलेशियाई सहायक कंपनी (शिनयी सोलर मलेशिया) ने चीन जन.गण. के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों को लागू किए जाने के पश्चात भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात आरंभ कर दिया है। यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. के विरुद्ध शुल्कों का विस्तार न किए जाने की स्थिति में मलेशियाई निर्यात चीन जन.गण. से अपना कार्य मार्ग खोजेंगे।



ग. अन्य देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्कों का अधिरोपण

122. यह नोट किया गया है कि भारत के अलावा, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात युरोपीय संघ और टर्की में भी पाटनरोधी शुल्कों के अधीन है।

घ. संबद्ध देश में प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के पास अधिशेष क्षमताएं

123. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में, चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अच्छी भागीदारी की गई है। इसलिए, चीन जन.गण. से प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन जन.गण. में उपलब्ध अधिशेष क्षमताओं के बारे में उचित अनुमान देगी। अधिकारी ने प्रत्येक प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक के पास विचाराधीन उत्पाद के लिए उपलब्ध अधिशेष क्षमताओं की पहचान करने के लिए संबद्ध देश से प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तरों का विश्लेषण किया है।
124. संबद्ध देश से उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में पीओआई के दौरान अधिशेष क्षमताओं के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

उत्पादक/ निर्यातक	यूओएम	क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग (%)	अधिशेष क्षमता (%)	अधिशेष क्षमता रेंज
अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कंपनी लिमि.	एम2	***	***	***	***	10-20
झेजियांग जियाफू ग्लास कंपनी लिमि.	एम2	***	***	***	***	10-20
फ्लैट ग्लास ग्रुप कंपनी लिमि.	एम2	***	***	***	***	20-30
हेनान अनकाई हाई-टेक कंपनी लिमि.	एम2	***	***	***	***	0-10
हेनान अनकाई फोटोवोल्टिक एडवांसड मेटिरियल कंपनी लिमिटेड	एम2	***	***	***	***	0-10
शांक्सी टोप्रे सोलर कंपनी लि.	एम2	***	***	***	***	10-20
वूजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमि.	एम2	***	***	***	***	10-20
डांगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमि.	एम2	***	***	***	***	10-20
शिनयी पीवी प्रोडक्ट्स (अनहुई) होल्डिंग्स लिमिटेड	मी.ट.	***	***	***	***	-
शिनयी पीवी प्रोडक्ट्स (अनहुई) होल्डिंग्स लिमिटेड, तियान जिन शाखा	मी.ट.	***	***	***	***	10-20
गुआंगशी शिनयी फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री कंपनी लिमि.	मी.ट.	***	***	***	***	20-30

ट. पाटनरोधी और क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

125. विस्तृत जांच के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- संबद्ध देश से पाटन जारी रहा है और पाटन मार्जिन काफी है। वस्तुतः, पाटन मार्जिन मूल जांच की तुलना में निर्णायक समीक्षा जांच की जांचावधि के दौरान बढ़ा है।
- संबद्ध देश से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश ने उत्पादकों/निर्यातकों के पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जो पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।
- एक चीनी उत्पादक चीन जन.गण. पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद अपने निर्यात चीन जन.गण. से मलेशिया ले गए। ऐसी संभावना है कि यदि चीन जन.गण. के विरुद्ध वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो उस स्थिति में मलेशिया से आने वाले आयातों की मात्रा चीन जन.गण. से आनी शुरू हो जाएगी।
- इस प्रकार, विभिन्न मापदंड सामूहिक रूप से और संचयी रूप से यह सिद्ध करते हैं कि संबद्ध आयात विद्यमान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर काफी बढ़ने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है।

ठ. प्रकटन पश्चात अनुरोध

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

126. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत के निर्धारण एनआईपी के परिकलन और क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अपने अनुरोध दोहराए हैं, अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. जिनयी (अनहुई) ने जनवरी, 2022 में प्राधिकारी के पास परिशिष्ट 3ग दायर किया है। अतः प्राधिकारी ने जिनयी ग्रुप की प्रश्नावली के उत्तर गलत रद्द किए हैं और पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के पैरा 5 के विपरीत कार्यवाही की है।
 - ख. जिनयी ग्रुप के पास कोई अधिशेष क्षमताएं उपलब्ध नहीं हैं, इसके अतिरिक्त सतत परिपाटी के अनुसार ऐसा कोई साध्य नहीं है कि अधिशेष क्षमताएं भारतीय बाजार में भेजी जाएंगी। तदनुसार, यह अनुरोध है कि शुल्कों की संभावना निर्धारित करते समय उनकी बेकार क्षमताओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को उनकी क्षमता विस्तार के कारण क्षति हो रही है।
 - ग. प्राधिकारी ने एनआईपी का परिकलन करने के लिए आरओसीई पर 22 प्रतिशत स्वेच्छाकारी रूप से विचार किया है और इसीलिए प्राधिकारी को अपना परिकलन दुबारा देखना चाहिए।
 - घ. एसीपीएम ने प्राधिकारी के पास परिशिष्ट 3ग दायर किया है। अतः, प्राधिकारी ने हेनन अनकाई हार्ड-टेक कंपनी लिमिटेड (एसीएचटी) और हेनन अनकाई फोटोवोल्टाइक एडवांस मैटिरियल कंपनी लिमिटेड (एसीपीएम) के प्रश्नावली के उत्तर को गलत रद्द किया है।
 - ड. चीन जन.गण. से आयातों में क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है और मलेशिया तथा चीन जन.गण. के आयातों में दोनों को मिलाकर क्षति जांच अवधि के दौरान मांग की तुलना में गिरावट आई है।
 - च. क्षमता, उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, मजदूरी, मालसूची आदि जैसे घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में क्षति जांच अवधि के दौरान सुधार दर्शाया है और इसीलिए घरेलू उद्योग के निष्पादन का समग्र मूल्यांकन यह दर्शाता है कि उसे कोई क्षति नहीं हो रही है और क्षति की कोई संभावना नहीं है।
 - छ. घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग के जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

127. घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा जनहित के संबंध में अपने पूर्व के अनुरोध दोहराए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - क. प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम में प्रकटन विवरण में भी निर्धारित मार्जिन की पुष्टि करनी चाहिए। पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है क्योंकि शुल्कों के बावजूद निर्यातक क्षतिकारक कीमतों पर भारत में संबद्ध सामानों का पाटन करना जारी रख रहे हैं। प्राधिकारी को वर्तमान पाटन/क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्कों की सिफारिश करनी चाहिए।
 - ख. चीन जन.गण. पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद एक चीनी उत्पादक ने मलेशिया में अपनी संबद्ध कंपनी से संबंधित उत्पाद का निर्यात करना प्रारंभ किया। मलेशिया के विरुद्ध शुल्क 2021 में ही लगाए गए थे। चीन जन.गण. के विरुद्ध वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है अन्यथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी।
 - ग. प्राधिकारी ने असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों अर्थात् हेनान अनकाई ग्रुप और जिनयी ग्रुप के उत्तरों को सही रद्द किया है क्योंकि वे जांच प्रक्रिया में पूर्णतः सहयोग करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त निरस्तीकरण प्राधिकारी के सतत दृष्टिकोण के अनुरूप है।

- घ. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य सही निर्मित किया है क्योंकि किसी भी चीनी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और न ही उन्होंने इस प्रयोजन के लिए निर्धारित पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। इन परिस्थितियों में, नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार चीनी निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण सही है तथा प्राधिकारी की सतत् परिपाटी के अनुसार ही है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए कुछ अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति के हैं। इन अनुरोधों की अंतिम जांच परिणामों में उपर्युक्त स्थानों पर पहले ही जांच कर ली गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त अनुरोधों की जांच निम्नलिखित रूप में की है:

- क. जिनयी ग्रुप द्वारा उनकी प्रश्नावली के उत्तर को गलत रद्द किए जाने के संबंध में किए गए अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण से संबंधित खंड में जिनयी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार न करने के लिए विस्तृत तर्क पहले ही दे दिया है। प्राधिकारी ने जिनयी ग्रुप द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने के लिए कई कारण नोट किए हैं। प्रकटन टिप्पणियों में, जिनयी ग्रुप ने उनके प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने के लिए प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा नोट किए गए कारणों के उत्तर में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जिनयी ग्रुप द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने के लिए प्राधिकारी द्वारा नोट किए गए कई कारणों में से एक कारण जिनयी (अनहुई) द्वारा अपने संबद्ध व्यापारी जिनयी (हांग कांग) को संबद्ध सामानों की जिस कीमत पर जिनयी (अनहुई) ने बिक्री की है वह कीमत दर्शाते हुए परिशिष्ट 3ग प्रस्तुत न किया जाना था। यहां तक कि जिनयी ग्रुप द्वारा दायर प्रकटन टिप्पणियों में यद्यपि यह दावा किया गया है कि उन्होंने प्राधिकारी को परिशिष्ट 3ग प्रस्तुत किया है परंतु प्राधिकारी को 28 जुलाई, 2021 को अथवा 31 दिसंबर, 2021, जो जिनयी ग्रुप को जारी कमी वाले पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख थी, तक दायर मूल प्रश्नावली उत्तर में जिस कीमत पर जिनयी (अनहुई) ने अपने संबद्ध व्यापारी जिनयी (हांगकांग) को संबद्ध सामानों की बिक्री की है, यह दर्शाते हुए जिनयी ग्रुप से कोई परिशिष्ट 3ग प्राप्त नहीं हुआ है।
- ख. इस अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी ने एनआईपी का परिकलन करने के लिए 22 प्रतिशत आरओसीई पर स्वेच्छाकारी रूप से विचार किया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा एनआईपी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में दिए गए दिशा-निर्देशों और उनकी सतत् परिपाटी के अनुसार किया गया है।
- ग. एसीपीएम और एसीएचटी द्वारा उनके प्रश्नावली के उत्तर को गलत रद्द किए जाने के संबंध में किए गए अनुरोध के बारे में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में एसीपीएम और एसीएचटी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार न करने के लिए पहले ही विस्तृत दे दिए हैं। प्राधिकारी ने एसीपीएम और एसीएचटी द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने के लिए कई कारण नोट किए हैं। प्रकटन टिप्पणियों में एसीपीएम और एसीएचटी ने उनकी प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने के लिए प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा नोट किए गए कारणों के उत्तर में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एसीपीएम और एसीएचटी द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने के लिए, प्राधिकारी द्वारा नोट किए गए कई कारणों में से एक कारण जिस कीमत पर एसीपीएम ने अपने संबद्ध उत्पादक/व्यापारी एसीएचटी को संबद्ध सामानों की बिक्री की है, वह कीमत दर्शाते हुए एसीपीएम द्वारा परिशिष्ट 3 ग प्रस्तुत न करना था। एसीपीएम और एसीएचटी द्वारा दायर प्रकटन टिप्पणियों में यह दावा किया गया है कि उन्होंने 14 मई, 2022 को प्राधिकारी को एसीपीएम का परिशिष्ट 3ग प्रस्तुत कर दिया है और यह कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं प्राधिकारी के रिकॉर्ड में थी, यह दावा सही नहीं हो सकता क्योंकि प्रकटन विवरण 5 मई, 2022 को जारी किया गया था और प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां एसीपीएम और एसीएचटी 10 मई, 2022 को दायर की गई थी। वस्तुतः एसीपीएम द्वारा पहली बार 14 अप्रैल, 2022 को ही निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की देय तारीख अर्थात् 28.07.2021 के 8 माह से अधिक समय के बाद परिशिष्ट 3ग

प्रस्तुत किया गया था साथ ही, 14 अप्रैल, 2022 को दायर परिशिष्ट 3ग में कोई सूचना नहीं थी। ऊपर दिए गए तथ्यों के मद्देनजर प्राधिकारी एसीपीएम और एसीएचटी द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने के संबंध में अपने निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

- घ. घरेलू उद्योग को कोई क्षति न होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पहले ही विस्तृत क्षति एवं संभावना की जांच कर ली है, प्राधिकारी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि चीन जन.गण. पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद एक चीनी उत्पादक ने मलेशिया में अपनी संबद्ध कंपनी से निर्यात करना शुरू किया है, परिणामस्वरूप मलेशिया से आयातों में पूर्व वर्षों में कई गुना वृद्धि हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध पर मलेशिया से आयातित संबद्ध सामानों पर 2021 में प्रतिकारी शुल्क लगाया। इस प्रकार, इस बात की पूरी संभावना है कि चीन जन.गण. के विरुद्ध वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में मलेशिया में चीनी उत्पादक की संबद्ध कंपनी चीन जन.गण. के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करना शुरू कर सकता है।
- ड. जांच की अवधि के बाद की अवधि की जांच के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि के बाद की अवधि की जांच करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं है। वस्तुतः प्राधिकारी ने कई निर्णायक समीक्षा जांचों में जांच की अवधि के बाद की अवधि की जांच नहीं की है। वर्तमान मामले में, जांच की अवधि सहित क्षति जांच अवधि के लिए सूचना यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि यदि शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय जारी रखने का उद्देश्य किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटन की परिपाटी का सहारा लेकर कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किए जाते हैं।
130. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से जनता के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार का प्रभाव निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में सामानों की उपलब्धता पर शुल्कों को जारी रखने के प्रभाव, उत्पाद कि प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव और कुल मिलाकर आम जनता पर प्रभाव की जांच की।
131. यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत के बाद आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए गए थे। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशन से उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना देने के लिए प्रश्नावली भी जारी की। यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं या कोई साक्ष्य नहीं दिया है, जिसे संगत माना जा सके, इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए सूचना उपलब्ध कराई है कि संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
132. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि जनहित पर पाटनरोधी शुल्क उपायों के प्रभाव का उत्पादकों, उपभोक्ताओं के परिप्रेक्ष्य से सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है।

- क. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना भारत में संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों के हित में होगा। इन उपायों से घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति रुकेगी तथा संबद्ध देश के निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें समय मिलेगा।
- ख. प्राधिकारी ने उपभोक्ता दृष्टिकोण से पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है और पाया है कि यह विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में विश्वसनीय विभिन्न भारतीय घरेलू उत्पादकों को सक्षम बनाने के लिए संबद्ध सामानों के घरेलू उपभोक्ताओं के हित में होगा। यह तभी संभव है जब घरेलू उत्पादक आयातों के कारण हुई क्षति से उबरने में सक्षम हों। यदि वर्तमान स्थिति जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो भारतीय घरेलू उत्पादक के समक्ष और क्षति की समस्या आएगी जिससे विदेशी उत्पादक को भारतीय उत्पादक की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यदि घरेलू उद्योग को हानि उठाने दी जाती है तो यह अन्ततः समाप्त हो जाएगा और उपभोक्ता फिर से आयातित सामानों की दया पर रह जाएंगे।
- ग. प्राधिकारी ने कुल मिलाकर जनता पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के प्रभाव का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन ने निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया है, जबकि कई प्रयोक्ताओं ने मूल जांच में भाग लिया। यह तभी संभव है जब प्रयोक्ता अपने अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव महसूस न कर रहे हों। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि टीटीजी में सोलर माड्यूल की केवल 4 प्रतिशत लागत है।
- और इसीलिए, संबद्ध सामानों के अंतिम उपभोक्ता को पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने के कारण कीमतों में काफी वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ढ. निष्कर्ष

133. इन जांच परिणामों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा पाटन, क्षति के निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- क. आवेदक घरेलू उत्पादक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और उनके द्वारा दायर आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
- ख. सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात जारी है जिसके परिणामस्वरूप निरंतर पाटन हो रहा है। चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा, पाटित एवं क्षतिकारक कीमत जिस पर सामान संबद्ध देश से निर्यात किए गए हैं, उत्पादकों/निर्यातकों की उच्च निर्यातोन्मुखता और संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के पास काफी अधिशेष क्षमताओं पर विचार करते हुए काफी बढ़ने की संभावना है।
- ग. संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती कर रहे थे और घरेलू उद्योग को उनकी कीमतों पर ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, क्षति मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री भी काफी सकारात्मक हैं जो स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर काफी कीमत प्रभाव दर्शाता है।
- घ. घरेलू उद्योग को चीन जन.गण. से पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और साथ ही मलेशिया में एक चीनी उत्पादक की संबद्ध कंपनी से आने वाले आयातों के कारण निरंतर हानियां होती रही हैं।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में काफी मात्रा में संबद्ध सामानों के पाटन की और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की स्पष्ट संभावना है। चीन जन.गण. संबद्ध सामानों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। संबद्ध देश में स्वीकार्य रूप से काफी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं, जिसका भाग पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- च. (i) चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के पास काफी अधिशेष क्षमता (ii) चीनी उत्पादकों/निर्यातकों की अत्यधिक निर्यातोन्मुखता (iii) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों का

निरंतर पाटन (iv) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता (v) संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर काफी कीमत प्रभाव और (vi) चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा लगाए गए व्यापार उपचार उपायों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है।

ण. सिफारिशें

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के सभी पहलुओं तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क तथा नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में निर्णायक समीक्षा शुरू करने और समीक्षा करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखना, जारी रखे जाने की आवश्यकता है।
135. इन परिस्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अगले दो (2) वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, निम्नलिखित तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से दो (2) वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निम्नलिखित तालिका के कॉलम 3 में वर्णित सामानों के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	70071900	टेक्सचर्ड टफंड (टेम्पर्ड) कोटेड और अनकोटेड ग्लास*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	फ्लैट ग्लास ग्रुप कं. लिमिटेड	192.82	एमटी	यूएसडॉ.
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कं. लिमिटेड	192.82	एमटी	यूएसडॉ.
3.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	झेजियांग जियाफु ग्लास कं. लिमिटेड	192.82	एमटी	यूएसडॉ.
4.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित	शांक्सी टोपरे सोलर कं.	253.39	एमटी	यूएसडॉ.

				कोई देश	लिमिटेड			
5.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	वुजियांग सीएसजी सोलर ग्लास कं. लिमिटेड	226.37	एमटी	यूएसडॉ.
6.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कं. लिमिटेड	226.37	एमटी	यूएसडॉ.
7.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं.1, 2, 3, 4, 5 और 6 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	302.65	एमटी	यूएसडॉ.
8.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	302.65	एमटी	यूएसडॉ.

* 4.2 एमएम (0.2 एमएम की टोलरेंस सहित) से अनधिक की मोटाई वाले न्यूनतम 90.5 प्रतिशत पारेषण युक्त टेक्चर्ड टर्फंड (टेम्पर्ड) ग्लास और जहां एक आयाम कम से कम कोटेड अथवा अनकोटेड 1500 एमएम से अधिक हो।

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

त. आगे की प्रक्रिया

136. इस जांच परिणाम के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2022

FINAL FINDINGS**Subject: Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Textured Tempered Coated and Uncoated Glass from China PR.**

F. No. 7/10/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules') thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Borosil Renewables Limited (hereinafter also referred to as “domestic industry” or “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules) for sunset review of anti-dumping investigation concerning the imports of Textured Tempered Coated and Uncoated Glass (hereinafter referred as the “subject goods” or “product under consideration”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.
3. Section 9A(5) of the Act, inter alia, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:
"... any definitive anti-dumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."
5. Based on the substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the sunset review investigation vide Notification No. 7/10/2021-DGTR (AD-SSR No. 10/2020) dated 07.06.2021 and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether there is a need for continued imposition of antidumping duty in respect of the subject goods originating in or exported from China PR.
6. Earlier, the Authority had initiated an antidumping investigation in respect of imports of Textured Tempered Coated and Uncoated Glass from China PR on 23.06.2016 and after conducting the investigation had recommended imposition of definitive duty vide Final Findings Notification No. 14/03/2016-DGAD dated 20.06.2017. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 38/2017-Customs (ADD) dated 18.08.2017.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- i. The Authority issued a Notification dated 07.06.2021, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from China PR.
 - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules. The time limit to file information was extended first up to 18.07.2021 and then up to 28.07.2021.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
 - iv. The Embassy of China PR in India was also requested to advise the exporters/producers from China PR to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from China PR.
- v. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in China PR, whose details were made available by the applicant, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a. Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd.
 - b. Zhejiang Jiafu Glass Co Ltd (Shanghai Flat glass, FSG Group)
 - c. Henan Anciai Hi Tech Co Ltd.
 - d. Shaanxi Topray solar wienan, China
 - e. Xinyi Solar (Hongkong) Limited
- vi. The following producers/exporters from China PR have filed exporter's questionnaire response:
- a. Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.
 - b. Xinyi Solar (Hong Kong) Limited
 - c. Guangxi Xinyi Photovoltaic Industry Co., Ltd
 - d. Wujiang CSG Glass Co., Ltd
 - e. Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd.
 - f. Shaanxi Topray Solar Co. Ltd
 - g. Henan Anciai Hi Tech Co., Ltd
 - h. Henan Anciai Photovoltaic Advanced Material Co., Ltd
 - i. Anhui Flat Solar Glass Co. Ltd
 - j. Flat Glass Group Co. Ltd
 - k. Flat (Hong Kong) Co. Ltd
 - l. Zhejiang Jiafu Glass Co. Ltd
- vii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations of the subject goods in India, whose names and addresses were made available to the Authority, and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
- a. Mundra Solar PV Limited
 - b. Swelect Energy Systems Limited
 - c. Premier Energies Limited
 - d. Renewsys India Private Limited
 - e. Goldi Solar Private Limited
 - f. Waaree Energies Limited
 - g. Alpex Exports Pvt Ltd
 - h. Vikram Solar Pvt Ltd
 - i. Topsun Energy Limited
 - j. Tata Power Solar Systems Limited
 - k. Emmvee Photovoltaic Power Pvt Ltd

1. Navitas Green Solutions Pvt Ltd

m. Sova Power Limited

- viii. None of the users/ importers / consumers have filed the importer's questionnaire response in the prescribed format.
- ix. Foreign producers/exporters and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, are proposed to be treated as non-cooperating interested parties.
- x. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xi. All the interested parties were asked to share the non-confidential version of the responses, submissions and evidence presented by them with the other interested parties.
- xii. The period of investigation for the purpose of the present investigation has been considered from January 2020 to December 2020 (POI). The injury investigation period has been considered as the period April 2017 to March 2018, April 2018 to March 2019, April 2019 to March 2020, and the period of investigation.
- xiii. Additional/supplementary information was sought from the applicants and the other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xiv. The Non-injurious Price (NIP) is based on the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and from DG-Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. The same has been relied upon for computation of the volume and value of imports.
- xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all the interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 08.09.2021 which was attended by various parties. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- xvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- xix. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 5th May, 2022 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
- xx. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigation is 1 US\$= Rs. 75.02.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 8. The product under consideration in the present sunset review is "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" originating in or exported from China PR.

9. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Solar Glass Low Iron, Solar PV Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc. Textured Tempered Glass is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid.

Submissions made by foreign producers/exporters/importers/other interested parties

10. No submission has been made by the foreign producers/exporters with regard to the scope of the product under consideration and like article.

Submissions made by the Domestic Industry

11. The product under consideration in the present sunset review is “Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated”.
12. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Low Iron Solar Glass, Solar PV Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc. Textured Tempered Glass is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered / toughened in a tempering furnace, as it is essential for solar applications.
13. The subject products are predominantly imported under tariff classification at the 8-digit level is 70071900 even though the same are being imported under various sub-headings of the Customs Tariff Act, 1975, as can be seen from the import data. The subject goods are also being imported in the sub-headings 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 and 85414011 as evidenced by the import data. Moreover, it is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.
14. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from China PR. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The applicant have claimed that the subject goods, which are coming into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the subsidized imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules.

Examination by the Authority

15. The product under consideration in the original investigation as well as in the present sunset review investigation is “Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated.
16. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Low Iron Solar Glass, Solar PV Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc. Textured Tempered Glass is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid.
17. The product under consideration is classified under tariff item 70071900 of the Customs Tariff. The applicant has claimed that the product under consideration has also been imported under tariff items 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 and 85414011 of the Customs Tariff. However, customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
18. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:
"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."
19. The Authority notes that there is no known difference in the product under consideration produced by the Indian industry and that exported from China PR. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from China PR are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing,

distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

20. The current application has been filed by M/s Borosil Renewables Limited. The applicant commands 100% share in Indian production of the subject goods during the period of investigation. As per the information available there is no other known producer of the product under consideration in the country.
21. As per the available information, the applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor it is related to any importer or exporter of the subject goods. In view of the above, the applicant fulfils the criteria of domestic industry and the standing requirement as laid down under the Indian Anti-dumping Rules.
22. None of the foreign producers/exporters/other interested parties have made any submission with regard to scope and standing of the domestic industry.
23. In view of the above, the Authority has considered the applicant as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

Submissions made by foreign producers/exporters/importers and other interested parties

24. The foreign producers/exporters/other interested parties have made the following submissions:
 - i. The applicant has claimed excessive confidentiality with respect to information provided in Format A to L and NIP information. Moreover, the domestic industry has not provided trend of data wherein information was to be given for more than one year.
 - ii. Since the domestic industry has not followed Trade Notice 03/2021 dated 12.04.2021, current investigation needs to be terminated.
 - iii. The domestic industry has claimed supporting evidence for normal value, export price as confidential, which ought to be provided for comments from the interested parties.
 - iv. Exporters have filed their data as per the applicable Trade Notices and as per the practice of the DGTR.

Submissions made by the domestic industry

25. The domestic industry has made the following submissions:
 - i. The applicant has claimed that as far as their submissions / information are concerned, confidentiality has been claimed in accordance with the provisions of Rule 7 of the Anti-dumping Rules and the Trade Notices issued in this regard.
 - ii. All the economic parameters considered by the Authority for the purpose of arriving at the determination of injury have been provided in compliance with trade notice 10/2018 dated 7.09.2018.
 - iii. Responses filed by the participating producers fail to comply with requirements laid down by the Authority with regard to confidentiality. Response to most of the questions in questionnaire have been claimed completely confidential with no meaningful summary provided.
 - iv. Respondents have made mockery of the system by not providing proper non-confidential version of their responses fully complying with the requirements of the Trade Notice 10/2018 dated 7.09.2018.
 - v. The domestic industry has fulfilled the obligation of providing import data in manner stated in Trade Notice 07/2018. The interested parties are free to obtain data from DGCI&S or from the Authority.

Examination by the Authority

26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

(1) "Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the

information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

27. Submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. All interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
28. The Authority notes that the domestic industry and the other interested parties have provided non-confidential version of all the information that is relevant for the purpose of the present investigation.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Submissions made by foreign producers/exporters/importers and other interested parties

29. Following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
 - i. Continuation of duty under Section 9A(5) is an exception and not a norm and in the instant sunset review investigation there does not exist any exceptional circumstances calling for the continuance of anti-dumping duty.
 - ii. Performance of the domestic industry is dependent on the performance of the solar module manufacturers. Even if the imports are NIL, the domestic industry would be impacted as many producers in the downstream industry have shut down their operations.
 - iii. The levy of anti-dumping duties on the Textured Tempered Glass will create a situation wherein the applicant will establish monopoly. Therefore, the Authority should not extend the duty.
 - iv. The application filed by the domestic industry in the present case failed to show any positive evidence to support the initiation and therefore, it was not necessary to initiate the investigation at all.
 - v. The imports in SEZ should be excluded.
 - vi. The petitioner has already been enjoying the protection in the form of anti-dumping duty for the past 6 years. The earlier imposition of anti-dumping duty has served its purpose and is not further required to be extended. Any further extension of existing duty will be in violation of Article 11 of the Anti-Dumping Agreement.
 - vii. Since only few exporters have established their production in Malaysia, there is no merit in the submission of the domestic industry that post imposition, imports have shifted from China PR to Malaysia, as majority of the exporters are still exporting from China PR only.

Submissions made by the domestic industry

30. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
 - i. As regards the contention that continuation of duties will lead to a situation of monopoly, it is submitted that this argument is completely devoid of any merit and has been rejected in the original investigation itself. It is further submitted by the domestic industry that it has been held by the Authority time and again that the objective of trade remedial investigation is not to block any imports but only to address the situation created by unfairly priced imports. Anti-dumping duties being country specific duties, the importers are free to import the subject goods at fair prices from the subject country as well as from other countries. Therefore, there is no question of monopoly by the domestic industry or causing shortage as the fairly priced imports can still come after the imposition of duties. A monopoly can exist only if there is a single supplier in the market which is not the case. A single producer does not create any monopoly as the goods continue to reach the marketplace from other suppliers around the world.
 - ii. In relation to the submissions of the interested parties that the performance of the domestic industry is linked to the performance of the solar module manufacturers, it is submitted by the domestic industry that the said argument purported by the interested parties is without any basis. While it is true that certain manufacturers in solar industry have shut down their operations, the same has not impacted the demand of the subject goods in the country as can be seen from the data on record.
 - iii. There is no merit in the submissions of the interested parties that imports in SEZ should be excluded. SEZ is very much a market of the domestic industry and therefore, no separate analysis is required.
 - iv. From the data on record, it is clear that post imposition of anti-dumping duties from China PR, imports have gradually shifted to Malaysia. Since most of the exporters have submitted that they have not shifted, this only shows that at fair price they are not able to compete with Indian producers and if duties are not extended, their exports will again increase. Even quantities exported from Malaysia, will also find their way into Indian market through Chinese producers.

- v. The domestic industry has submitted that they have provided all the information which is sufficient for the purpose of initiation of the investigation. Even the Authority also in the initiation mentioned that the information provided by the Domestic Industry is prima-facie sufficient for the purpose of the initiation. Therefore, the submissions of the interested parties that the domestic industry has not provided sufficient information for the initiation is incorrect.
- vi. The domestic industry has submitted that as per the consistent practice of the Authority, the duties should be extended for the period of five more years. Further, Section 9A(5) also supports extension of five years.

Examination by the Authority

- 31. It is noted that the information filed by the domestic industry was found sufficient for the purpose of the initiation of the investigation. It is further noted that none of the interested parties have provided any information / evidence to show how initiation based on the application filed by the domestic industry has violated any rule. It is therefore noted that there is no merit in the submissions of the other interested parties.
- 32. In relation to the period of extension of anti-dumping duties, it is noted that the Authority decides the period of the extension of anti-dumping duties as envisaged in the Section 9A(5) post examination of the data and comments filed by the interested parties.

G. Determination of normal value, export price and dumping margin

- 33. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:
 - (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Provisions relating to Non-Market Economy countries

- 34. Annexure-I to AD rules states as under:
 - 7. *In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*
 - 8. (1) *The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)*
 - (2) *There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member 16country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country*

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) *The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:*

(a) *the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;*

(b) *the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*

(c) *such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and*

(d) *the exchange rate conversions are carried out at the market rate.*

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph”

Submissions made by foreign producers/exporters/importers and other interested parties

35. The submissions made by the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. The domestic industry has failed to provide any reliable information in relation to normal value and export price of subject goods in China PR and therefore, the same should not be considered for final determination.
- ii. The Authority should consider the information filed by the producers / exporters for determining dumping margin.
- iii. The dumping margin claimed in the petition is highly exaggerated as compared to the original investigation and therefore, the Authority should check the same.

Submissions made by the domestic industry

36. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. Since none of the exporters have claimed market economy status, their normal value should be based on the paragraph 7 of Annexure I of AD Rules.
- ii. The Chinese exporters continue to dump the subject goods in Indian market despite imposition of anti-dumping duties. In fact, the export price of the Chinese exporters to India has declined post imposition of ADD despite increase in cost.
- iii. Interestingly, none of the cooperating exporters have even claimed that they are not dumping the subject goods in India. Moreover, the domestic industry has calculated dumping margin based on the export price calculated from DGCI&S data and constructed normal value as per the consistent practice of the DGTR. Therefore, computed dumping margin is as per practice of the DGTR and cannot be said to be more.
- iv. The domestic industry has requested the Authority to check whether exporters have claimed SG&A and profit for unrelated exporters or not.

Examination by the Authority

37. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from China PR, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from China PR have filed exporter's questionnaire response:

- a. Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.
- b. Xinyi Solar (Hong Kong) Limited
- c. Guangxi Xinyi Photovoltaic Industry Co., Ltd
- d. Wujiang CSG Glass Co., Ltd
- e. Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd.
- f. Shaanxi Topray Solar Co. Ltd
- g. Henan Ancai Hi Tech Co., Ltd
- h. Henan Ancai Photovoltaic Advanced Material Co., Ltd
- i. Anhui Flat Solar Glass Co. Ltd

- j. Flat Glass Group Co. Ltd
- k. Flat (Hong Kong) Co. Ltd
- l. Zhejiang Jiafu Glass Co. Ltd

38. The Authority has analyzed the submissions made by the interested parties including domestic industry and has accordingly determined the normal value, export price and dumping margin.

Determination of Normal Value

39. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- a. *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - i. *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - ii. *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- b. *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China PR may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China PR.*
- c. *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- d. *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

40. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since producers/exporters from China PR have not submitted response to MET/supplementary questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para. 7 of Annexure I of the Rules.

41. As none of the producers from China PR have filed the Supplementary Questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. Since none of the interested parties have provided / suggested any surrogate country for construction of normal value, the Authority has proposed not to adopt any surrogate country in the absence of any data / information. Therefore, in the absence of sufficient information on record, regarding the other methods as are enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value on "any other reasonable basis". The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of the cost of production of PUC by the domestic industry; selling, general and administrative expenses based on the experience of the domestic industry and reasonable profit margin. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table.

42. The Authority has not considered the exports made by the participating producers/exporters to India during April 2020 to June 2020 quarter in the dumping determination as well as injury analysis because of COVID-19 lockdown in India during that period.

Export Price in case of Flat Glass Group Co., Ltd., Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd., Anhui Flat Solar Glass Co., Ltd. and Flat (Hong Kong) Co., Limited

43. Flat Glass Group Co., Ltd. (hereinafter referred as “Flat Group”), Anhui Flat Solar Glass Co., Ltd. (hereinafter referred as “Anhui”) and Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd. (hereinafter referred as “Jiafu”) are related producers of subject goods in China PR. They have one related exporter namely Flat (Hong Kong) Co., Limited, Hong Kong (hereinafter referred as “Flat Hong Kong”). Flat Group has exported the subject goods directly to unrelated customers in India and also through its related exporter Flat Hong Kong. Anhui has not made any direct export sales of subject goods to India. It has made all exports to India through Flat Hong Kong. Jiafu has not made any direct export sales to India. It has made all exports to India through Flat Hong Kong and Flat Group. All the four entities have provided all the relevant information in requisite exporter questionnaire formats.
44. It is noted that during the POI, Flat Group has produced and exported *** MT of subject goods directly and *** MT of subject goods through Flat Hong Kong to unrelated customers in India. Anhui has produced and exported *** MT of subject goods through Flat Hong Kong to unrelated customers in India. Jiafu has produced and exported *** MT and *** MT of subject goods through Flat Group and Flat Hong Kong respectively to unrelated customers in India. Flat Group, Anhui, Jiafu and Flat Hong Kong have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges.
45. The adjustments towards ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges have been verified and accepted by the Authority. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level for the group has been determined and shown in the dumping margin table below.

Export Price in case of Shaanxi Topray Solar Co., Ltd.

46. Shaanxi Topray Solar Co., Ltd. (hereinafter referred as “Topray”) is a limited company established under Company Law of China PR. Topray has produced and exported the subject goods directly to unrelated customers in India. Topray has provided all the relevant information in requisite Exporter questionnaire format.
47. It is noted that during the POI, Topray has produced and exported *** MT of subject goods to unrelated customers in India. Topray has claimed adjustments on accounts of inland transportation, port and other related expenses, credit cost, packaging cost, bank charges and commission. The aforesaid adjustments have been verified and accepted by the Authority. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level has been determined and shown in the dumping margin table below.

Export Price in case of Wujiang CSG Glass Co., Ltd. and Dongguan CSG Glass Co., Ltd.

48. Wujiang CSG Glass Co., Ltd. (hereinafter referred as “Wujiang CSG”) and Dongguan CSG Glass Co., Ltd. (hereinafter referred as “Dongguan CSG”) are related producers of subject goods in China PR.
49. Wujiang CSG has produced and exported the subject goods directly to unrelated customers in India. Wujiang CSG has provided all the relevant information in requisite Exporter questionnaire format. It is noted that during the POI, Wujiang CSG has produced and exported *** MT of subject goods to unrelated customers in India. Wujiang CSG has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges.
50. Dongguan CSG has produced and exported the subject goods directly to unrelated customers in India and also through unrelated exporter namely, Swelect Energy Systems Pte. Ltd., Singapore. The quantity exported through Swelect Energy Systems Pte. Ltd., Singapore is approximately ***% of the total exports made to India. Dongguan CSG has provided all the relevant information in requisite Exporter questionnaire format. However, Swelect Energy Systems Pte. Ltd. has not participated in the subject investigation. It is noted that during the POI, Dongguan CSG has produced and exported *** MT directly to Indian customers and ***MT of subject goods through Swelect Energy Systems Pte. Ltd. Dongguan CSG has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges.
51. The aforesaid adjustments claimed by Wujiang CSG and Dongguan CSG have been verified and accepted by the Authority. It is noted by the Authority that their unrelated trader namely Swelect Energy Systems Pte. Ltd. has not participated in the investigation and has accordingly not provided the relevant information. However, since the exports made through this unrelated trader is less than 30% of exports made by Wujiang CSG and Dongguan CSG, the Authority has accepted the response filed by the producers and has considered facts available for the export transactions routed through Swelect Energy Systems Pte. Ltd for the determination of export price for the participating producers in the group. The export price for the subject goods at ex-factory level for the group so determined is shown in the dumping margin table below.

Export Price in case of Henan Ancai Photovoltaic Advanced Material Co., Ltd and Henan Ancai HiTech Co., Ltd

52. Henan Ancai HiTech Co., Ltd (hereinafter referred as “ACHT”) and Henan Ancai Photovoltaic Advanced Material Co., Ltd (hereinafter referred as “ACPM”) are related producers of subject goods in China PR.
53. ACHT has exported the subject goods directly to unrelated customers in India. ACHT has provided information in the requisite Exporter questionnaire format. It is noted that during the POI, ACHT has produced and exported *** M2 (*** Pieces) of subject goods to unrelated customers in India.
54. ACPM has not exported directly to customers in India. All exports of subject goods produced by ACPM have been made to India through ACHT. In the given set of facts, ACPM was required to provide information in Appendix-3C detailing the price at which it has sold the subject goods to ACHT and ACHT was required to provide information in Appendix-3A detailing the price at which it has sold the subject goods to customers in India. However, the Authority noted that ACPM did not submit the requisite information in Appendix-3C relating to exports to India. The Authority highlighted this deficiency to ACPM and requested them to provide the requisite information in Appendix 3C during the desk verification exercise. Even after the opportunity given to ACPM during the desk verification exercise, they did not provide the requisite information in Appendix-3C to the Authority.
55. In order to determine the dumping margin, the Authority is required to calculate the ex-factory export price at producer level and examine the profitability of each trader involved in export chain to India. The Authority works out the ex-factory export price based on the information provided by producer in Appendix-3C relating to exports to India. In the absence of Appendix-3C, the Authority cannot determine the ex-factory export price for the subject goods exported to India. In all the other investigations being conducted by the Authority involving related producers and exporters, Appendix-3C is being submitted by the producers.
56. On the basis of above, it is noted that ACPM has failed to discharge its responsibility even after the deficiency being pointed out to them. There was no plausible justification given by the producer why they cannot provide the information to the Authority.
57. The unit of measurement adopted by the Authority in this case is Metric Ton (MT). The Authority has also noted that both the producers have failed to provide export to India quantitative information in MT despite the fact that anti-dumping duties were imposed per MT basis in the original investigation and the domestic industry has given all the information in its petition and also proposed to determine dumping and injury margin on per MT basis. All other producers/exporters from China PR have given the quantitative information to the Authority in MT. Accordingly, the Authority is not in the position to determine the ex-factory export price and landed price for ACPM and ACHT in the unit of measurement adopted by the Authority in the present investigation.
58. In view of the above, the Authority holds to not accept the exporter questionnaire response filed by ACPM and ACHT and not determine the individual dumping margin and injury margin for them.

Export Price in case of Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd., Guangxi Xinyi Photovoltaic Industry Co., Ltd and Xinyi Solar (Hong Kong) Limited

59. Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd [hereinafter referred as “Xinyi (Anhui)”] and Guangxi Xinyi Photovoltaic Industry Co., Ltd. (hereinafter referred as “Guangxi Xinyi”) are related producers of subject goods in China PR. They have a related exporter namely, Xinyi Solar (Hong Kong) Limited [hereinafter referred as “Xinyi (Hong Kong)”] in Hong Kong.
60. During the POI, Xinyi (Anhui) has not exported directly to customers in India. Xinyi (Anhui) has produced and exported *** MT of subject goods to unrelated customers in India through Xinyi (Hong Kong). During the POI, Guangxi Xinyi has not exported the subject goods to India. In the given set of facts, Xinyi (Anhui) was required to provide information in Appendix-3C detailing the price at which it has sold the subject goods to Xinyi (Hong Kong) and Xinyi (Hong Kong) was required to provide information in Appendix-3A detailing the price at which it has sold the subject goods to customers in India. However, the Authority noted that Xinyi (Anhui) did not submit the requisite information in Appendix-3C relating to the price at which Xinyi (Anhui) has sold the subject goods to Xinyi (Hong Kong). Rather Xinyi (Anhui) has submitted the Appendix-3C with the price at which Xinyi (Hong Kong) has sold the subject goods to customers in India.
61. In order to determine the dumping margin, the Authority is required to calculate the ex-factory export price at producer level and examine the profitability of each trader involved in the export chain to India. The Authority works out the ex-factory export price based on the information provided by the producer in Appendix-3C relating to the price at which producer has sold the subject goods to the trader/ exporter. In the absence of relevant information in Appendix-3C, the Authority cannot determine the ex-factory export price for the subject goods exported to India. In all the other investigations being conducted by the Authority involving related producers and exporters, the price at which producer has sold the subject goods to exporter/trader is being reported in Appendix-3C by producers. It is thus noted that Xinyi (Anhui) has failed to discharge its responsibility and disclose full and correct information to the Authority.

62. It is further noted that the price of *** MT of subject goods exported by Xinyi (Anhui) to India through Xinyi (Hong Kong) is abnormally high. It is more than double of the average import price of the subject goods into India during the POI and therefore cannot be considered as reliable.
63. In Appendix 3A/3C, information relating to exports of subject goods to India during the POI is required to be furnished. On examination of the questionnaire response filed by these parties, it is noted that these parties have reported exports of *** MT of subject goods to India in Appendix 3A/3C. On careful scrutiny it was noted that out of *** MT reported by them, only *** MT was the exports to India during the POI. Rest of the quantity pertained to the post-POI period. No reason has been provided for reporting post-POI information in Appendix 3A and 3C of the exporter questionnaire format.
64. In view of the above, the Authority holds not to accept the Exporter questionnaire response filed by these producers/exporters and not determine an individual dumping margin and injury margin for them.

Normal Value and Export Price for all other producers and exporters

65. The normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters from China PR is proposed to be determined on the basis of facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping Margin

66. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin for producers/exporters from China PR is not only above the de-minimis limit but substantial.

DUMPING MARGIN TABLE

Exporter	Constructed Normal Value		Net Export Price		Dumping Margin			
	USD/M T	Rs/M T	USD/M T	Rs/M T	USD/M T	Rs/M T	%	Range
Flat Glass Group, Anhui and Jiafu	***	***	***	***	***	***	** *	75-85
Shaanxi Topray	***	***	***	***	***	***	** *	110-120
Wujiang and Dongguan	***	***	***	***	***	***	** *	70-80
Others	***	***	***	***	***	***	** *	140-150

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

67. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...* ". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
68. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Submissions made by foreign producers/exporters and other interested parties

69. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and the causal link:
- Imports from China PR have not caused injury to the domestic industry. Further, any injury to the domestic industry during POI is only because of COVID-19 and not because of imports from the subject country.

- ii. The POI in the present sunset review is fixed as 1st January 2020 to 31st December 2020. The POI is unrepresentative of actual situation of the domestic industry. Majority of the POI period has been affected by either full or partial lockdown due to COVID-19 pandemic. The performance of the domestic industry would have been impacted the most during April 2020 to June 2020 when strict lockdown was imposed across India. Therefore, the Authority should exclude April 2020 to June 2020 quarter from the POI for the purpose of injury and likelihood analysis as per the consistent practice followed by the Authority in other investigations.
- iii. The domestic industry has failed to demonstrate that they are suffering any injury. It is further submitted that the volume and price related parameters show improvement over the injury investigation period. This shows that domestic industry is doing well and there was no negative impact due to imports from the subject country.
- iv. The Authority should examine if injury claimed by the domestic industry was solely due to imports with insignificant market share or was it due to reasons other than imports from the subject country. If it is concluded that injury was due to other factors, Authority is requested to terminate the present review.
- v. The claims of the petitioner regarding its profitability are contrary to the published information on their official website and appear to be concocted and fabricated to show injury to the domestic industry. It is further submitted that the domestic industry in the Annual Report has stated that around 97% of its production is solar glass and rest 3% production goes to the other products. If the petitioner is suffering injury for solar glass, how only 3% could have generated profit of 43.01%.
- vi. Since majority of imports of the PUC during the POI are from Malaysia, if there is any likelihood of injury to the domestic industry, it is because of imports from Malaysia. Therefore, holding the producers/exporters from China PR accountable for the injury caused, if any, on account of massive imports from Malaysia is unjust and unfair.
- vii. If the domestic industry is suffering from injury, if any, it is on account of other parameters like contraction in demand and imports from other countries.

Submissions made by the Domestic Industry

70. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are as follows:
 - i. The landed value of the subject goods from China PR is substantially lower as compared to the cost and selling price of the domestic industry. This has resulted in significant losses and negative cash profit.
 - ii. The positive price underselling and price undercutting clearly indicate the adverse price pressure on the domestic industry.
 - iii. Dumping margins are significantly positive from the data on record, and therefore, there is clear likelihood of increase in the demand of the imported subject goods in India from the China PR in the event of cessation of Anti-dumping duty.
 - iv. If post imposition of anti-dumping duty, imports from the subject country declines, and there is positive price pressure on domestic industry, this shows strong likelihood for continuation of dumping from the subject country.
 - v. The domestic industry is still suffering losses only because of low price imports from Chinese exporters. It is further submitted that only because of low priced imports, the domestic industry is not recovering its full cost despite its best efforts. The low prices import from the subject country has created significant price pressure on the domestic industry.
 - vi. The domestic industry has submitted that since causal link has already been established in the original investigation, the Authority is required to examine whether cessation of anti-dumping duty would lead to continuance or recurrence of dumping and injury.
 - vii. It is also submitted that existing anti-dumping duty helped the domestic industry to remain in operations. However, full recovery could not be attained due to low-priced dumped imports from China PR. In view thereof, continuation of duties is very critical.
 - viii. Since the applicant is a multiproduct company and the product under consideration is subset of the solar business, any analysis based on numbers reported in Annual Reports on standalone basis will lead to incorrect conclusions.

Examination by the Authority

71. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of

the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.

72. According to Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may extend the period of such imposition for a further period of five years.
73. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood of dumping and injury on account of imports from the subject country.
74. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties.
75. In order to nullify the effect of lockdown on account of COVID-19 pandemic and bring objectivity in injury analysis, the injury data for quarter April 2020 to June 2020 has been taken out and data for the remaining 9 months of POI has been annualized.
76. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and analyzed the same based on facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the succeeding paras ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

Volume Effect of dumped imports and impact on the Domestic Industry

Assessment of Demand/ Apparent Consumption

77. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from the DGCI&S. Demand or apparent consumption has been determined as the sum of domestic sales of all the domestic producers and the imports from all the countries. The demand or apparent consumption of the subject goods shows a positive trend throughout the injury period as can be seen from the table below:

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
					9 M	Ann
Imports from China PR	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	151	116	41	55
Imports from Other Countries	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	314	245	327
Total Imports	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	136	190	117	157
Domestic Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	163	222	296
Total Demand/Consumption	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	129	184	140	187

78. The demand of the subject goods has increased throughout the injury investigation period.

a. Import volume and share of the imports from China PR

79. The effects of the volume of dumped imports from China PR has been examined by the Authority in the following Table:

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
					9M	Ann
Imports from China PR	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	151	116	41	55
Imports from Malaysia	MT	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	110	320	250	334
Imports from China PR + Malaysia	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	136	190	118	157
Imports from Other Countries	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	133	104	84	112
Total Imports	MT	***	***	***	***	***
Total PUC Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	152	196	261
Demand of Subject goods in India	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	129	184	140	187
Imports from China PR in relation to						
Production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	76	21	21
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	63	30	30

80. It is seen that the volume of dumped imports of subject goods from China PR increased till 2018-19 and thereafter declined. It is also noted that one of the Chinese producers shifted its exports from China PR to Malaysia after imposition of anti-dumping duties on China PR. Imports from Malaysia have significantly increased during 2019-20 and POI.

Price effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

81. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

a. **Price Undercutting**

82. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from China PR and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory levels.

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
				9M	Ann
Landed value from China PR (Rs/MT)	***	***	***	***	***
Trend	100	101	104	108	108
Domestic selling price (Rs/MT)	***	***	***	***	***
Trend	100	102	96	101	101
Price Undercutting (Rs/MT)	***	***	***	***	***
Trend	100	106	58	71	71
Price Undercutting (%)	***	***	***	***	***
Trend	15-25	15-25	10-20	10-20	10-20

83. The Authority notes that the landed value of the subject goods from China PR is significantly below the net sales realization of the domestic industry and accordingly, the imports are undercutting the prices of the domestic industry.

b. Price Suppression/depression

84. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority considered the changes in the prices and landed value over the injury period.

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
					9M	Ann
Wt. Avg Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	99	123	123
Wt. Avg. Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	96	101	101
Wt. Avg Landed Price of Imports from China PR	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	104	108	108

85. It can be seen that the weighted average landed value of the PUC from China PR is consistently below the weighted average selling price and weighted average cost of the PUC of the domestic industry. Similarly, the weighted average selling price is also below the weighted average cost during the entire injury investigation period. The domestic industry is also not able to increase its prices to fully recover its increase in cost due to the presence of dumped imports, thus indicating that the prices of the domestic industry have been suppressed.

c. Price Underselling

86. The Authority has determined price underselling by comparing the NIP and landed price of imports during the POI.

Particulars	UOM	Value
NIP	Rs/MT	***
Landed Value from China PR	Rs/MT	***
Price Underselling	Rs/MT	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling	Range	50-60

87. It is seen that price underselling is not only positive but substantial.

Impact on economic parameters of the domestic industry

88. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, Production, Sales & Capacity Utilization

89. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
					9M	Ann
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	170	171	227
Production – Total	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	143	177	236
Production – PUC	MT	***	***	***	***	***

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
					9M	Ann
Trend	Indexed	100	107	152	196	261
Capacity utilization based on Total Production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	84	104	104
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	163	222	296

90. The capacity of the domestic industry has increased during the injury investigation period. It is further noted that the production and sales of the PUC have also increased throughout the injury investigation period, which are in line with the increase in demand for the subject goods in the country.

b. Market Share

91. Market share of imports from the subject country as well as that of domestic sales by the Domestic Industry have been examined as below:

Market Share	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
					9M	Ann
Total Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	129	184	140	187
Domestic Sales	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	89	159	159
China PR	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	63	30	30
China PR + Malaysia	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	104	84	84
Other countries	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	56	60	60

92. It is noted from the above table that market share of the domestic industry increased during the injury investigation period. It is also noted that the combined market share of imports from China PR and Malaysia is quite significant during the entire investigation period.

c. Inventories

93. Inventory with the domestic industry has been examined as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	644	1,101	838

94. It is seen that the average inventory level of the domestic industry has increased till 2019-20 and thereafter decreased slightly during the POI.

d. Profits, Return on Investment and Cash Profit

95. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed:

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
					9M	Ann
Selling price	Rs. /MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	96	101	101
Landed Value without ADD	Rs. /MT	***	***	***	***	***
ADD (based on lowest ADD imposed)	Rs. /MT	***	***	***	***	***

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
					9M	Ann
Landed Value with ADD	Rs. /MT	***	***	***	***	***
Cost	Rs. /MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	99	123	123
Profit/loss	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(166)	(175)	(465)	(620)
Profit/loss	Rs. /MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(164)	(107)	(209)	(209)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(173)	(175)	(515)	(687)
Cash Profit	Rs. /MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(171)	(107)	(226)	(226)
Capital employed	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	273	274	274
ROCE	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(157)	(64)	(170)	(226)

96. It is noted that the domestic industry has been suffering losses throughout the injury investigation period. The cash profits and ROCE of the domestic industry has also been negative throughout the injury investigation period.

e. Employment, Wages and Productivity

97. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
					9M	Ann
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	152	196	261
Employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	140	97	130
Production/employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	108	201	201
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	130	136	181
Wages / Employee	Rs. / No.	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	134	93	139	139

98. It is noted from the above table that productivity, employees and wages have increased in the POI.

f. Growth

99. Information related to growth parameters of the domestic industry during the injury period is given below:

SN	Particulars	2018-19	2019-20	POI (Ann)
1	Production	7%	41%	72%
2	Domestic Sales	1%	62%	82%
3	Profit/(Loss) - Rs Lacs	-66%	-6%	-254%
4	Cash Profit - Rs Lacs	-73%	-1%	-292%
5	ROI %	-12%	20%	-34%

100. It is seen from the above table that volume related parameters of the Domestic Industry have shown growth and price related parameters of the Domestic Industry have shown decline throughout the injury period.

g. Ability to Raise Fresh Investment

101. It has been submitted by the domestic industry that due to the protection of anti-dumping duties against dumped imports from China PR, some fresh investments were made by them but the future investment in the sector would not be sustainable if dumped imports are allowed from China PR.

h. Magnitude of Injury Margin

102. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III to the AD Rules. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the period of investigation. The NIP has been compared with the landed price from the subject countries for calculating injury margin.
103. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

INJURY MARGIN TABLE

Exporter	NIP		Landed Price		Injury Margin			
	USD/MT	Rs/MT	USD/MT	Rs/MT	USD/MT	Rs/MT	%	Range
Flat Glass Group Anhui and Jiafu	***	***	***	***	***	***	***	30-40
Shaanxi Topray	***	***	***	***	***	***	***	50-60
Wujiang and Dongguan	***	***	***	***	***	***	***	40-50
Others	***	***	***	***	***	***	***	60-70

Conclusion on Injury

104. The Authority notes that subject imports have increased over the injury period till 2018-19 and thereafter declined. It is also noted that one of the Chinese producers shifted its exports from China PR to Malaysia after imposition of anti-dumping duties on China PR. Imports from Malaysia have significantly increased during 2019-20 and POI. The subject imports are significantly undercutting the selling price of the domestic industry throughout the injury period and also causing suppression effect on the prices of the domestic industry. Price underselling is also significantly positive. The domestic industry is suffering financial losses and negative returns on investment in the POI. The financial performance of the domestic industry deteriorated significantly during the POI due to dumped imports. The Authority, therefore, concludes that the domestic industry has suffered material injury.

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

105. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

106. The listed known factors have not caused injury, as is seen from the following:

a. Volume and Price of Imports from Third Country

107. The imports of subject goods from sources other than subject country are below de-minimis level or non-dumped or are subject to anti-dumping/anti-subsidy duties.

b. Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

108. There is no contraction in demand for the product under consideration in India, except for period of investigation, that too due to COVID-19 pandemic.

c. Change in Pattern of Consumption

109. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

110. There is no trade restrictive practice.

e. Development of Technology

111. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic industry.

f. Export performance

112. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

113. In a sunset review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

Submissions made by the other interested parties

114. The submissions made by the other interested parties with regard to likelihood of injury are as follows:
- As per Article 11.3 of the AD Agreement, the Authority is not precluded from making separate likelihood determinations for individual exporters or producers in a sunset review and then continuing or terminating the relevant duty for each company according to the determination for that company. All the claims made by the applicant are merely allegations and nothing concrete has been placed on record to prove that the likelihood of dumping and injury is clearly foreseen and imminent.
 - ADD imposed by the Ministry of finance on 18.08.2017 has been in force for more than four years and the exporters from China PR have already found alternative markets for exporting the subject goods. Therefore, there is no likelihood of diversion of goods.
 - The Authority should use the data filed by participating producers/exporters to analyze surplus capacity available with the participating producers/exporters and not the generic data provided by the domestic industry in their petition.

Submissions made by the Domestic Industry


115. The submissions of the domestic industry with regard to likelihood of dumping and injury are as follows:
- The continued dumping, despite duties in force, clearly demonstrates that the dumping is only likely to continue if the duties are removed. This shows that the producers in the subject country have a tendency to resort to unfair pricing behavior.
 - China PR is the largest producer of glass and glass products, producing over 97 percent of the global output of subject goods in 2020. It is further submitted that China PR has the largest number of solar-glass production lines in the world. Total capacity of the subject goods in China PR was around *** MT in the year 2020 which is around 77 times of the total capacity of the domestic industry and around 131 times of the Indian production. The domestic industry has also provided the capacities in China PR and their comparison with the domestic capacities in India to give an insight into the potential danger of the dumped imports from China PR and the imminent likelihood of dumped imports into the country in large volumes.
 - The domestic industry from the Morgan Stanley Report has submitted that the Chinese manufacturers have huge idle capacities available with them. Since India is a growing market with substantial investments being made in the solar energy, it will always remain an attractive destination for countries with huge idle capacities. The domestic industry has provided the details of unutilized capacities in China, which is 41 times of Indian capacity and 70 times of Indian production. Since Ministry of Finance has imposed duties against Malaysia, with such idle capacities, Chinese producers will ramp-up their production to flood Indian market.
 - It is submitted that despite having huge idle capacity, producers in China PR have planned for extensive expansion of the existing capacities i.e., effective capacity from *** thousand MT in 2019 to *** thousand MT by 2025. This effectively means that Chinese producers will double their capacity in the next four years. It is submitted that even if only 1% of the surplus capacity is diverted to India, the whole Indian demand can be catered by that small portion of Chinese capacity.
 - The domestic industry has provided evidence that the exporters have huge exportable surplus capacity with them. Moreover, after imposition of anti-subsidy duty against imports from Malaysia, there is every

likelihood that in the event duties are not extended, the Malaysian exports will find its way into Indian Market through China PR. Therefore, continuation of anti-dumping duties is very critical.

- vi. It is submitted that since India is a price sensitive market, this makes it more vulnerable to dumped and injurious imports. In such circumstances, withdrawal of anti-dumping duty in force will certainly lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. There is every likelihood of huge potential imports once the duties are lifted.
- vii. In addition to India, exports of subject goods from China PR are subject to anti-dumping duties in European Union and Turkey. This limit the possibilities of the Chinese exporting producers to export to these countries and further increases the attractiveness of the Indian market. It is also important to note that with the focus of the Indian Government on solar energy, any revocation of duties against China PR will be detrimental to the Indian Industry.
- viii. The domestic industry has submitted that with huge exportable surplus capacity and duties against them in major markets, Chinese exporters will be waiting for single opportunity to flood key growing markets having increasing demand of subject goods like India. This further underlines the importance of extending the anti-dumping duties.

Examination by the Authority

- 116. The Authority observes that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if anti-dumping duties are to be allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
- 117. All the factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine whether there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and the other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- 118. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, factors which are relevant for threat of injury and the same factors may be used for likelihood analysis in a sunset review as well:
 - i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
 - iv. Inventories of the article being investigated.
- 119. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows:
 - a. **Continued Dumping of Subject Goods**
- 120. The dumping of the subject goods has continued from China PR in spite of the duties in force. For the cooperative producers/exporters from China PR, the dumping margin and injury margin both are positive.
 - b. **Behaviour of Chinese Producers/Exporters to Shift Exports from China PR to Malaysia Post Imposition of Duties Against China PR**
- 121. The domestic industry has claimed that Malaysian subsidiary (Xinyi Solar Malaysia) of the Chinese producer (Xinyi Group, China PR) started exporting the subject goods to India post imposition of the anti-dumping duties against China PR. This shows that in the event duties are not extended against China PR, Malaysian exports will find its way from China PR.



c. Imposition of Anti-dumping Duties by Other Countries

122. It is noted that apart from India, exports of subject goods from China PR are subject to anti-dumping duties in European Union and Turkey also.

d. Surplus Capacities with Participating Producers/exporters in the Subject Country

123. In the present sunset review investigation, there is decent participation by producers/exporters from China PR. So, information provided by the participating producers/exporters from China PR will give reasonable estimation about surplus capacities available in China PR for the subject goods. The Authority has analyzed the questionnaire response of the participating producers/exporters from the subject country to identify surplus capacities available for product under consideration with each participating producer/exporter.
124. Information with respect to surplus capacities during the POI in case of responding producers/exporters from subject country is given below:

Producer/ Exporter	UOM	Capacity	Production	Capacity Utilisation (%)	Surplus Capacity (%)	Surplus Capacity Range
Anhui Flat Solar Glass Co. Ltd	M2	***	***	***	***	10-20
Zhejiang Jiafu Glass Co Ltd	M2	***	***	***	***	10-20
Flat Glass Group Co. Ltd.	M2	***	***	***	***	20-30
Henan Anciai Hi-Tech Co., Ltd	M2	***	***	***	***	0-10
Henan Anciai Photovoltaic Advanced Material Co., Ltd	M2	***	***	***	***	0-10
Shaanxi Topray Solar Co. Ltd	M2	***	***	***	***	10-20
Wujiang CSG Glass Co., Ltd	M2	***	***	***	***	10-20
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd.	M2	***	***	***	***	10-20
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Limited	MT	***	***	***	***	-
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Limited Tianjin Branch	MT	***	***	***	***	10-20
Guangxi Xinyi Photovoltaic Industry Co., Ltd	MT	***	***	***	***	20-30

K. Conclusion on Likelihood of Dumping and Injury

125. Based on detailed examination, the Authority concludes that:

- i. The dumping has continued from the subject country and the dumping margin is quite significant. In fact, the dumping margin has increased during the POI of the sunset review investigation as compared to the original investigation.
- ii. The responses filed by the responding producers/exporters from the subject country show that there are significant unutilized capacities available with the producers/exporters in the subject country, sufficient enough to cater to the entire Indian demand.
- iii. One of the Chinese producers shifted its exports from China PR to Malaysia after imposition of anti-dumping duty on China PR. There is a likelihood that the quantum of imports coming from Malaysia would start coming from China PR in case the current anti-dumping duty against China PR is revoked.
- iv. Various parameters collectively and cumulatively thus establish that the subject imports are likely to increase significantly at dumped and injurious prices in Indian market in the event of cessation of existing anti-dumping duty leading to likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry.

L. Post Disclosure Submissions

Submissions made by the other Interested Parties

126. Other interested parties have reiterated their submissions with regard to determination of normal value, export price, computation of NIP, injury and causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Additionally, the following submissions have been made:
 - a. Xinyi (Anhui) has filed Appendix 3C with the Authority in January 2022. Therefore, the Authority has wrongly rejected the questionnaire response of Xinyi Group and acted in contradiction to the Para 5 of the Annexure II of Anti-Dumping Agreement.
 - b. There are no surplus capacities available with the Xinyi Group. Moreover, as per the consistent practice, there is no evidence that the surplus capacities will be diverted to the Indian market. Accordingly, it is requested that their idle capacities should not be considered while determining likelihood of duties. It is further submitted that the domestic industry is suffering injury due to their capacity expansion.
 - c. The Authority has arbitrarily considered 22% on ROCE for computing NIP and therefore, the Authority should revisit their calculation.
 - d. ACPM has filed Appendix 3C with the Authority. Therefore, the Authority has wrongly rejected the questionnaire response of Henan Anciai Hi-Tech Co., Ltd. (AHT) and Henan Anciai Photovoltaic Advanced Material Co., Ltd. (ACPM).
 - e. Imports from China PR have declined during the injury investigation period and imports from both Malaysia and China PR put together have declined in relation to demand during the injury investigation period.
 - f. Economic parameters of domestic industry such as capacity, production, sales, market share, wages, inventory etc. have shown improvement during the injury investigation period and therefore overall assessment of performance of the domestic industry shows that it is not suffering any injury and there is no likelihood of injury.
 - g. Post POI data of domestic industry should be analyzed to determine the likelihood of injury to the domestic industry.

Submissions made by the domestic industry

127. The domestic industry has reiterated its earlier submissions with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury as well as public interest. In addition, the domestic industry has submitted as follows in its comments to the disclosure statement:
 - a. The Authority should confirm the margins determined in the disclosure statement in the final findings as well. Extension of anti-dumping duty is necessary because despite duties exporters are continuing to dump the subject goods in India at injurious price. The Authority should recommend duties based on the current dumping/injury margins.
 - b. After imposition of anti-dumping duty on China PR, one of the Chinese producers started exporting the product concerned from its related company in Malaysia. Duties were levied against Malaysia only in 2021. Extension of current anti-dumping duty against China PR is very critical, otherwise injury to the domestic industry will continue.
 - c. The Authority has rightly rejected the responses of the non-cooperative producers / exporters, namely, Henan Anciai Group and Xinyi Group, as they have failed to fully cooperate in the

investigation process. Moreover, the said rejection is in line with the consistent approach of the Authority.

- d. The Authority has rightly constructed the normal value as none of the Chinese producers/exporters have claimed market economy treatment in terms of para 8 of Annexure I of the Rules, nor they have filed the Supplementary Questionnaire response prescribed for this purpose. Under the circumstances, the determination of normal value of the Chinese exporters in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules, is correct and also in accordance with the consistent practice of the Authority.

Examination by the Authority

128. The Authority notes that some of the submissions by the domestic industry and the other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in the final findings. The Authority has examined the additional submissions of the interested parties as under:

- a. With regard to the submissions made by Xinyi Group regarding the incorrect rejection of their questionnaire response, the Authority has already given detailed reasoning for not accepting the questionnaire response submitted by Xinyi Group in the section relating to the determination of normal value, export price and dumping margin. The Authority has noted several reasons for rejecting the questionnaire response filed by Xinyi Group. In the disclosure comments, Xinyi Group has not provided any clear explanation in response to the reasons noted by the Authority in the disclosure statement for rejecting their questionnaire response. One of the several reasons noted by the Authority for rejecting the questionnaire response filed by Xinyi Group was non-furnishing of Appendix 3C by Xinyi (Anhui) showing the price at which Xinyi (Anhui) has sold the subject goods to its related trader Xinyi (Hong Kong). Even though it has been claimed in the disclosure comments filed by Xinyi Group that they have submitted Appendix 3C to the Authority but the Authority has not received any Appendix 3C from Xinyi Group showing the price at which Xinyi (Anhui) has sold the subject goods to its related trader Xinyi (Hong Kong) either in the original questionnaire response filed on 28th July 2021 or by 31st December 2021, which was the due date for submitting reply to deficiency letter issued to Xinyi Group.
- b. With regard to the submission that Authority has arbitrarily considered 22% ROCE for computing NIP, it is noted that the NIP has been determined by the Authority as per the guidelines given in Annexure-III of the Anti-dumping Rules and as per its consistent practice.
- c. With regard to the submissions made by ACPM and ACHT regarding the incorrect rejection of their questionnaire response, the Authority has already given detailed reasoning for not accepting the questionnaire response submitted by ACPM and ACHT in the section relating to the determination of normal value, export price and dumping margin. The Authority has noted several reasons for rejecting the questionnaire response filed by ACPM and ACHT. In the disclosure comments, ACPM and ACHT have not provided any clear explanation in response to the reasons noted by the Authority in the disclosure statement for rejecting their questionnaire response. One of the several reasons noted by the Authority for rejecting the questionnaire response filed by ACPM and ACHT was non-furnishing of Appendix 3C by ACPM showing the price at which ACPM has sold the subject goods to its related producer/trader ACHT. It has been claimed in the disclosure comments filed by ACPM and ACHT that they have submitted Appendix 3C of ACPM to the Authority on 14th May 2022 and that all the information required by the Authority for calculating dumping margin and injury margin was on record of the Authority. This claim cannot be correct because the disclosure statement was issued on 5th May 2022 and the comments on disclosure statement were filed on 10th May 2022 by ACPM and ACHT. In fact, Appendix 3C was submitted by ACPM for the first time only on 14th April 2022, more than eight months after the due date i.e., 28.07.2021 of filing the exporter questionnaire response. Also, Appendix 3C filed on 14th April, 2022 did not contain the complete information. In view of the facts narrated above the Authority confirms its conclusion regarding rejection of questionnaire response filed by ACPM and ACHT.
- d. With regard to the submissions made by interested parties regarding no injury being suffered by the domestic industry, the Authority notes that it has already conducted a detailed injury and likelihood examination. The Authority acknowledges the fact that after the imposition of anti-dumping duty on China PR, one of the Chinese producers has started exporting from its related company in Malaysia. Consequently, the imports from Malaysia increased manifold in the previous years. To tackle this situation, the Authority, on the request made by the domestic industry, imposed countervailing duty on the subject goods imported from Malaysia in 2021. Thus, it is quite likely that in the event of withdrawal of the present anti-dumping duty against China PR, the related company of Chinese producer in Malaysia may start exporting subject goods to India through China PR.

- e. With regard to examination of the post POI period, Authority notes that it is not compulsorily required to examine post POI period in every sunset review investigation. In fact, Authority has not examined post POI period in a number of sunset review investigations. In the present case, the information for the injury investigation period including the POI is sufficient enough to show that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, if the duties are allowed to expire.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

129. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, continuation of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by resorting to the practice of dumping.
130. The Authority considered whether continuation of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the continuation of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large.
131. It is noted that after initiation of investigation views from all interested parties were invited including importers, consumers and others. The Authority also issued questionnaire for the users/ user association to provide relevant information with regard to present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. It is noticed that none of the users / user association have made any submissions or provided evidence that can be considered as relevant. On the contrary, domestic industry has provided information to show that there will be no adverse impact of continuation of anti-dumping duty on the users of the subject goods.
132. The Authority has also noted that the effect of anti-dumping duties measures on public interest is commonly studied from the perspective of the producers, the consumers.
 - a. It is noted that the imposition of anti-dumping duties on imports of subject goods would be in the interest of domestic producers of the subject goods in India. The measures would prevent further injury to the domestic industry and give time to them to compete against the exporters from the subject country.
 - b. The Authority has also analyzed the effect of continuation of anti-dumping duties from the consumer's point of view and observed that it would be in the interest of domestic consumers of subject goods to have reliable Indian domestic producers capable of competing with foreign producers. This is possible when the domestic producers are able to recover from the injury suffered due to the imports. If the current situation is allowed to continue, the Indian domestic producer would face further injury giving foreign producers increased leverage as against domestic producers. Further, if the domestic industry is allowed to suffer, it will eventually be wiped out and the consumers will be again left at the mercy of the imported goods.
 - c. The Authority has analyzed the impact of continuation of anti-dumping duties on public at large. The Authority notes that no user / user association has participated in the sunset review whereas number of users participated in the original investigation. This is possible when the users are not feeling the impact of anti-dumping duties on their ultimate product. It is noted that the domestic industry has claimed that the TTG constitute only 4 % cost of the solar module.
And therefore, the end consumer of subject goods will not face any significant increase in prices due to continuation of anti-dumping duty.

N. CONCLUSION

133. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping, injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:
 - a. The applicant domestic producer constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application filed by them satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - b. The product under consideration continues to be exported to India at prices below normal value resulting in continued dumping. The volume of imports from China PR is likely to increase significantly, considering the dumped and injurious price at which goods have been exported from the subject country, high export orientation of producers/exporters and significant surplus capacities with producers/exporters in the subject country.

- c. Imports from the subject country were significantly undercutting the domestic industry prices & the domestic industry has suffered depressing or suppressing effect on its prices. Further, the injury margin / price underselling is also significantly positive clearly indicating significant price effect on the domestic industry.
- d. The domestic industry has been constantly suffering losses due to price effect of dumped imports from China PR and also imports coming from related company of one of the Chinese producers in Malaysia.
- e. In the event of expiry of anti-dumping duty, there is a clear likelihood of dumping of the subject goods in significant volumes and consequent injury to the domestic industry. China PR is one of the largest producers of the subject goods. There are admittedly significant unutilized capacities in the subject country, fraction of which is sufficient to cater to entire Indian demand.
- f. There is likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry considering (i) significant surplus capacity with producers/exporters in China PR, (ii) high export orientation of the Chinese producers/exporters (iii) continued dumping of subject goods from China PR despite imposition of anti-dumping duty (iv) price attractiveness of Indian market (v) significant price effect on domestic industry due to imports of subject goods from subject country and (vi) trade remedial measures imposed by other WTO member countries on imports of subject goods from China PR.

O. RECOMMENDATIONS

134. The Authority notes that the sunset review was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to all the interested to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having initiated and conducted the sunset review into dumping, injury and causal link and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of the provisions laid down under the rules, the Authority is of the view that continued imposition of anti-dumping duty is required on the subject goods from the subject country.
135. Under these circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject country for further period of two (2) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the goods described in Column 3 of the table below originating in or exported from the subject country for a period of two (2) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

DUTY TABLE

S. No.	Sub-Heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	70071900	Textured Toughened (Tempered) Coated and Uncoated Glass*	China PR	Any country including China PR	Flat Glass Group Co., Ltd.	192.82	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Anhui Flat Solar Glass Co., Ltd.	192.82	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd.	192.82	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shaanxi Topray Solar Co. Ltd	253.39	MT	USD

5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Wujiang CSG Glass Co., Ltd	226.37	MT	USD
6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd.	226.37	MT	USD
7.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than those mentioned at S. Nos. 1, 2, 3, 4, 5 & 6	302.65	MT	USD
8.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	302.65	MT	USD

*Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated.

*Customs classification is only indicative, and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC.`

P. FURTHER PROCEDURE

136. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

ANANT SWARUP, Designated Authority